

अध्याय – 1

राज्य सरकार के वित्त

प्रस्तावना

यह अध्याय 2012-13 के दौरान हरियाणा सरकार के वित्त के विस्तृत परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करता है तथा पिछले पांच वर्षों की समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुये पिछले वर्ष के संबंध में मुख्य राजकोषीय योगों में देखे गए परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। सरकारी लेखाओं की संरचना एवं स्वरूप की परिशिष्ट 1.2 भाग क में व्याख्या की गई है तथा वित्त लेखाओं का ले-आऊट परिशिष्ट 1.2 भाग ख में दर्शाया गया है। फिस्कल पोजीशन के आकलन के लिए अपनाई गई पद्धतियां परिशिष्ट 1.3 में दी गई हैं।

1.1 राज्य का प्रोफाइल

हरियाणा 21 जिलों वाला कृषिक राज्य है जिसके आठ जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा हैं। राज्य राष्ट्रीय राजधानी के निकट स्थित है। भौगोलिक क्षेत्र (44,212 वर्ग किलोमीटर) के संबंध में यह 20वां तथा जनसंख्या के संबंध में 17वां बड़ा राज्य है। राज्य की जनसंख्या एक दशक में 19.09 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते 2001 में 2.11 करोड़ से बढ़कर 2011 में 2.54 करोड़ हो गई। गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या की प्रतिशतता अखिल भारतीय औसत से 11.16 प्रतिशत कम थी। वर्तमान मूल्यों पर 2012-13 में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) ₹ 3,53,440 करोड़ था। राज्य की साक्षरता दर 67.91 प्रतिशत (2001 की जनसंख्या के अनुसार) से बढ़कर 76.64 प्रतिशत (2011 की जनगणना के अनुसार) हो गई (परिशिष्ट 1.1)। आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग द्वारा 2012-13 हेतु जारी किए गए हरियाणा के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति आय देश की औसत ₹ 68,747 के विरुद्ध ₹ 1,23,554 रही।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)

स.रा.घ.उ., दी गई समय अवधि में राज्य के भीतर उत्पादित अधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त फाईनल मालों एवं सेवाओं का बाजार मूल्य है। स.रा.घ.उ. की वृद्धि राज्य की जनसंख्या के जीवनस्तर का महत्वपूर्ण सूचक है। वर्तमान मूल्यों पर भारत के स.घ.उ. तथा हरियाणा के

स.रा.घ.उ. की वार्षिक वृद्धि में प्रवृत्तियां नीचे इंगित की गई हैं:

वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
भारत की स.घ.उ. (₹ करोड़ में)	56,30,063	64,77,827	77,95,313	89,74,947	1,00,28,118
स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	12.9	15.1	20.3	15.1	11.7
राज्य का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	1,82,522	2,23,600	2,65,033	3,07,606	3,53,440
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	20.4	22.51	18.53	16.06	14.9

(आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा द्वारा यथा सूचित वर्तमान मूल्यों पर स.रा. घ.उ. की वार्षिक वृद्धि दर, 2010-11 के स.रा.घ.उ. के आंकड़े अस्थायी अनुमानों पर हैं, 2011-12 के तुरंत अनुमानों पर हैं तथा 2012-13 के अग्रिम अनुमानों पर हैं। 2012-13 के आर्थिक सर्वेक्षण से प्राप्त किए गए भारत के स.घ.उ. के आंकड़े, 2010-11 के आंकड़े प्रथम संशोधित अनुमान हैं, 2011-12 के आंकड़े द्वितीय संशोधित अनुमान हैं तथा 2012-13 के आंकड़े अग्रिम अनुमान हैं)।

1.1.1 वित्तीय लेन-देनों का सार

पिछले वर्ष (2011-12) की तुलना में चालू वर्ष (2012-13) के दौरान राज्य सरकार के वित्तीय लेन-देनों का सार तालिका 1.1 में दिया गया है।

तालिका 1.1: 2012-13 में वित्तीय लेन-देनों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां	2011-12	2012-13	संवितरण	2011-12	2012-13		
					गेर योजनागत	योजनागत	कुल
भाग - क: राजस्व							
राजस्व प्राप्तियां	30,557.59	33,633.53	राजस्व व्यय	32,014.89	28,615.73	9,455.99	38,071.72
कर - राजस्व	20,399.46	23,559.00	सामान्य सेवाएं	10,219.83	11,817.41	79.34	11,896.75
कर - भिन्न राजस्व	4,721.65	4,673.15	सामाजिक सेवाएं	12,641.67	7,666.10	6,850.25	14,516.35
संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा	2,681.55	3,062.13	आर्थिक सेवाएं	9,053.97	9,030.33	2,526.40	11,556.73
भारत सरकार से अनुदान	2,754.93	2,339.25	सहायता अनुदान एवं अंशदान	99.42	101.89	-	101.89
भाग - ख: पूंजीगत तथा अन्य							
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	9.24	10.81	पूंजीगत परिव्यय	5,372.34	1,570.54	4,191.30	5,761.84
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	294.12	349.38	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	627.07	237.79	284.20	521.99
लोक ऋण प्राप्तियां	10,766.83	15,213.54	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	4,037.14	-	-	5,951.37
आकस्मिक निधि	167.52	-	आकस्मिक निधि	167.52	-	-	-
लोक लेखा प्राप्तियां	19,259.75	22,708.90	लोक लेखा संवितरण	17,051.18	-	-	21,073.88
आरंभिक नकद शेष	376.84	2,161.75	अंतिम नकद शेष	2,161.75	-	-	2,697.11
कुल	61,431.89	74,077.91	कुल	61,431.89			74,077.91

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखों।)

परिशिष्ट 1.5 चालू वर्ष के दौरान समग्र वित्तीय स्थिति के साथ प्राप्तियों एवं संवितरणों के विवरण प्रदान करता है।

गत वर्ष से 2012-13 के दौरान वित्तीय संपादनो में मुख्य परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

- कर राजस्व में ₹ 3,160 करोड़ (15 प्रतिशत) की वृद्धि तथा भारत सरकार (भा.स.) से संघीय करों एवं शुल्कों का हिस्सा ₹ 381 करोड़ (14 प्रतिशत) के कारण राजस्व प्राप्तियां ₹ 3,076 करोड़ (10 प्रतिशत) तक बढ़ गई। भा.स. से प्राप्त सहायता अनुदान ₹ 416 करोड़ (15 प्रतिशत) तक तथा कर-भिन्न राजस्व, 2011-12 से ₹ 49 करोड़ (एक प्रतिशत) तक घट गए। राज्य का अपना कर-राजस्व वित्तीय सुधार पथ (वि.सु.प.) (₹ 24,475 करोड़) के अंतर्गत नियत लक्ष्यों तथा मध्यम-अवधि वित्तीय नीति विवरणी (म.अ.वि.नी.वि.) (₹ 23,873 करोड़) का क्रमशः 3.74 प्रतिशत तथा 1.32 प्रतिशत तक कम पड़ गया किन्तु तेरहवें वित्त आयोग (ते.वि.आ.) (₹ 23,154 करोड़) द्वारा नियत लक्ष्य के 1.75 प्रतिशत तक अधिक था। वर्ष 2012-13 का कर-भिन्न राजस्व (₹ 4,673 करोड़) ते.वि.आ. (₹ 14,981 करोड़) द्वारा नियत लक्ष्य, वि.सु.प. में किए गए प्रोजेक्शन (₹ 4,915 करोड़) तथा म.अ.वि.नी.वि. (₹ 4,805 करोड़) से क्रमशः 69 प्रतिशत, पांच प्रतिशत तथा 2.7 प्रतिशत तक कम पड़ गया (परिशिष्ट 1.6)।
- 'सामाजिक सेवाओं' (₹ 1,875 करोड़), 'आर्थिक सेवाओं' (₹ 2,503 करोड़) तथा 'सामान्य सेवाओं' (₹ 1,677 करोड़) पर व्यय में वृद्धि के कारण राजस्व व्यय ₹ 6,057 करोड़ (19 प्रतिशत) तक बढ़ गया। गैर-योजनागत राजस्व व्यय (गै.यो.रा.व्य.) (₹ 28,616 करोड़), वि.सु.प. में किए गए प्रक्षेपणों (₹ 27,410 करोड़) तथा ते.वि.आ. में मानकीय आंकलन (₹ 20,360 करोड़) से क्रमशः ₹ 1,206 करोड़ (चार प्रतिशत) और ₹ 8,256 करोड़ (41 प्रतिशत) अधिक था (परिशिष्ट 1.6)।
- मुख्यतः 'आर्थिक सेवाओं' (₹ 295 करोड़) तथा 'सामाजिक सेवाओं' (₹ 79 करोड़) पर व्यय में वृद्धि के कारण पूंजीगत व्यय में ₹ 390 करोड़ (7 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली 2012-13 के दौरान ₹ 55 करोड़ (19 प्रतिशत) तक बढ़ गई।
- लोक ऋण प्राप्तियों तथा पुनर्भुगतान में क्रमशः ₹ 4,447 करोड़ (41 प्रतिशत) और ₹ 1,914 करोड़ (47 प्रतिशत) तक वृद्धि हुई, परिणामस्वरूप, लोक ऋण प्राप्तियों में ₹ 2,533 करोड़ की निवल वृद्धि हुई।
- लोक लेखा प्राप्तियां 2011-12 में ₹ 19,260 करोड़ से 2012-13 में ₹ 22,709 करोड़ तक बढ़ गई तथा इसके सवितरण भी 2011-12 में ₹ 17,051 करोड़ से 2012-13 में ₹ 21,074 करोड़ तक बढ़ गए।
- 2012-13 की समाप्ति पर ₹ 2,697 करोड़ का नकद शेष गत वर्ष की तुलना में ₹ 535 करोड़ तक बढ़ गया।

1.1.2 वित्तीय स्थिति की समीक्षा

हरियाणा में वित्तीय सुधार पथ

हरियाणा में वित्तीय सुधार एवं समेकन, निर्धारित सीमा में राजस्व घाटा दूर करने तथा वित्तीय घाटा कम करने के उद्देश्य से 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 6 जुलाई 2005 को राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध (रा.उ.ब.प्र.) अधिनियम, 2005 लागू करके राज्य सरकार के साथ आगे लाए गए। भा.स. से समय-समय पर प्राप्त दिशानिदेशों के अनुसार रा.उ.ब.प्र. अधिनियम आगे संशोधित किया गया था। तेरहवें वित्त आयोग ने राज्य सरकार को 2011-12 से शून्य राजस्व घाटा लक्ष्य प्राप्त करने तथा उसे 2014-15 तक रखने, वित्तीय घाटे को 2010-11 से स.रा.घ.उ. को तीन प्रतिशत तक सीमित करने तथा उसे 2014-15 तक रखने और बकाया ऋण को स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में 2010-11 में 22.4 प्रतिशत, 2011-12 में 22.6 प्रतिशत तथा 2012-13 में 22.7 प्रतिशत तक रखने की सिफारिश की।

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित बजट में प्रदान किए गए तथा राज्य के रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में यथा लक्षित प्रोजेक्शनज से मेज़र फिस्कल वेरियेबलज तालिका 1.2 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.2: प्रोजेक्शनज से मेज़र फिस्कल वेरियेबलज में भिन्नताएं

फिस्कल वेरियेबलज	2012-13						
	रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में यथा निर्धारित लक्ष्य	बजट में प्रस्तावित लक्ष्य	पंचवर्षीय वित्तीय योजना / म.अ.वि.नी. में किए गए प्रोजेक्शनज	वास्तविक	पर वास्तविकों की भिन्नता प्रतिशतता		
					रा.उ.ब.प्र. अधिनियम के लक्ष्य	बजट के लक्ष्य	पंचवर्षीय वित्तीय योजना / म.अ.वि.नी. के प्रोजेक्शन
राजस्व घाटा (-) / सरप्लस (+) (₹ करोड़ में)	शून्य	(-) 2,456	(-) 2,456	(-) 4,438	-	(-) 1,982 (81 प्रतिशत)	(81 प्रतिशत)
वित्तीय घाटा / स.रा.घ.उ. (प्रतिशत में)	3	2.06 (₹ 7,597 करोड़)	2.06	2.93	(-) 0.07	0.87	0.87
सरकार के कुल बकाया ऋण का स.रा.घ.उ. से अनुपात (प्रतिशत में)	22.7	16.36 (₹ 60,437 करोड़)	16.36	18.33	4.37	1.97	1.97

वर्ष 2012-13 के स.रा.घ.उ. का राजस्व घाटा (₹ 4,438 करोड़) तथा वित्तीय घाटा (2.93 प्रतिशत) बजट तथा म.अ.वि.नी. में किए गए प्रोजेक्शन से अधिक था किंतु वित्तीय घाटा रा.उ.ब.प्र. के अंतर्गत निर्धारित स.रा.घ.उ. के 3 प्रतिशत की सीमा के भीतर था।


वर्ष 2012-13 के लिए रा.उ.ब.प्र. अधिनियम तथा बजट के अनुसार स.रा.घ.उ. का क्रमशः 22.7 प्रतिशत तथा 16.36 प्रतिशत पर प्रक्षेपित कुल बकाया उधार तथा चालू वर्ष में स.रा.घ.उ. के 18.33 प्रतिशत पर सीमा में था।

1.1.3 बजट अनुमान तथा वास्तविक

बजट पेपर्स विशिष्ट वित्तीय वर्ष के राजस्व एवं व्यय के अनुमान प्रदान करते हैं। राजस्व एवं व्यय के अनुमान जहां तक संभव हो ठीक ढंग से बनाए जाने चाहिए ताकि उचित कारणों का पता लगाने के लिए विभिन्नताओं का विश्लेषण किया जा सके।

कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय मानकों के लिए बजट अनुमान तथा वास्तविक चार्ट 1.1 में दिए गए हैं।

चार्ट: 1.1: चयनित वित्तीय मानक: 2012-13 के वास्तविकों की तुलना में बजट अनुमान



₹ 37,328 करोड़ की लक्षित राजस्व प्राप्ति के विरुद्ध वास्तविक राजस्व प्राप्ति ₹ 33,634 करोड़ (90 प्रतिशत) थी। भा.स. से मुख्यतः, सहायतानुदान जो ₹ 5470 करोड़ के पूर्वानुमान के विरुद्ध केवल ₹ 2,340 करोड़ (43 प्रतिशत) था। की कम प्राप्ति के कारण ₹ 10,275 करोड़ की पूर्वानुमानित प्राप्ति के विरुद्ध कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत संग्रहण केवल ₹ 70,13 करोड़ (69 प्रतिशत) था। वास्तविक राजस्व व्यय (₹ 38072 करोड़) ₹ 39,784 करोड़ के बजट प्रावधान के भीतर था। यद्यपि व्याज भुगतान (₹ 4,744 करोड़) अनुमानित प्रक्षेपण (₹ 5,261 करोड़) के भीतर रखे गए थे, पूंजीगत व्यय (₹ 5,762 करोड़) इसके अनुमान (₹ 4,661 करोड़) तक सीमित नहीं किया गया था तथा ₹ 1,101 करोड़ (19 प्रतिशत) तक बढ़ गया। राज्य सरकार अनुमानित राजस्व घाटा (₹ 2,456 करोड़), वित्तीय घाटा (₹ 7,597 करोड़) तथा प्राथमिक घाटा (₹ 2,336 करोड़) भी मेटेन नहीं कर सकी क्योंकि वर्ष के दौरान ये क्रमशः ₹ 4,438 करोड़ ₹ 10,362 करोड़ तथा ₹ 5,618 करोड़ तक बढ़ गए।

1.1.4 जेंडर बजटिंग

राज्य सरकार ने बजट में महिलाओं के लिए विशेष रूप से कुछ स्कीमें शुरू की हैं। उनमें से कुछ तालिका 1.3 में वर्णित हैं।

तालिका 1.3: महिलाओं के लिए स्कीमें-2012-13 के दौरान बजट अनुमान तथा किया गया व्यय
(₹ करोड़ में)

क्र.स.	स्कीम	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय
1.	इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना	81.96	81.96
2.	लाडली-केवल एक लड़की/लड़कियों वाले परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीम	13.53	13.53
3.	विधवा पेंशन	430.42	430.42
4.	किशोर लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी स्कीम	7.38	7.38
5.	आंगनवाड़ी वर्कज/हैल्परज का बीमा	3.98	3.98
6.	अपनी बेटी अपना धन (लाडली)	69.82	69.82
7.	किशोर लड़कियों के लिए योजना	1.47	1.47
8.	घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा-सैलों की स्थापना	0.86	0.86
9.	निराश्रय औरतों तथा विधवाओं के लिए गृह-सह प्रशिक्षण	1.50	1.50
10.	महिला कोआपरेटिवस के लिए सहायता	0.68	0.68


(स्रोत: 2012-13 के विस्तृत विनियोजन लेखे)

1.2 राज्य के रिसोर्सिज


1.2.1 वित्त लेखे 2012-13 के अनुसार राज्य के रिसोर्सिज

राजस्व तथा पूंजीगत, प्राप्तियों के दो स्ट्रीम हैं जो राज्य सरकार के रिसोर्सिज का संघटन करते हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों का राज्य का हिस्सा तथा भारत सरकार (भा.स.) से सहायतानुदान शामिल होते हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे डिसइन्वेस्टमेंट्स से प्राप्ति, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋणों, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) से उधार प्राप्तियां भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम तथा लोक लेखा से अर्जन शामिल होते हैं। तालिका 1.1 चालू वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियों एवं सवितरणों को प्रस्तुत करती हैं जैसा इसके वार्षिक वित्त लेखाओं में दर्ज किया गया है जबकि चार्ट 1.2 2008-13 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियों को दर्शाता है, चार्ट 1.3 चालू वर्ष के दौरान राज्य के रिसोर्सिज का संघटन दर्शाता है।


निम्नलिखित फ्लो चार्ट रीसोर्सिज के घटक तथा उप-घटक दर्शाता है



* इसमें संवितरण शामिल नहीं है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)



सरकार की कुल प्राप्तियां 2008-09 में ₹ 35,007 करोड़ से ₹ 36,909 करोड़ (105 प्रतिशत) तक बढ़कर 2012-13 में ₹ 71,916 करोड़ हो गई। उसी अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियां ₹ 15,182 करोड़ (82 प्रतिशत) तक बढ़ गई, पूंजीगत प्राप्तियां, जिनमें ऋणों एवं अग्रिमों तथा लोक ऋण की वसूली शामिल है, ₹ 11,326 करोड़ (267 प्रतिशत) तक बढ़ गई और लोक लेखा प्राप्तियां ₹ 10,401 करोड़ (85 प्रतिशत) तक बढ़ गई। कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा 2008-09 में 53 प्रतिशत से घटकर 2012-13 में 47 प्रतिशत हो गया। उसी अवधि के दौरान लोक लेखाओं का हिस्सा 35 से 31 प्रतिशत तक घट गया जबकि ऋण सहित पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा 12 प्रतिशत से बढ़कर 22 प्रतिशत हो गया।

1.2.2 राज्य बजट से बाहर राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित निधियां

भारत सरकार सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये राज्य के कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे ही निधियों का हस्तांतरण करती आ रही है। चूंकि ये निधियां राज्य बजट/राज्य ट्रेजरी सिस्टम के माध्यम से नहीं दी जातीं, वार्षिक वित्त लेखाओं में इन निधियों का प्रवाह शामिल नहीं हो पाता। विभिन्न कार्यक्रमों की ओर 2012-13 के दौरान राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की गई निधियां तालिका 1.4 में प्रस्तुत है।

तालिका 1.4: राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्ष रूप से हस्तान्तरित निधियां

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	कार्यक्रम/स्कीम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसी	केन्द्र का हिस्सा	
			2011-12	2012-13
1.	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डी.आर.डी.ए.)	35.86	63.57
2.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम	डी.आर.डी.ए.	316.74	380.57
3.	इंदिरा आवास योजना	डी.आर.डी.ए.	80.61	80.27
4.	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	डी.आर.डी.ए.	34.94	31.24
5.	मस्स्थल विकास कार्यक्रम	डी.आर.डी.ए.	33.26	17.01
6.	एकीकृत बंजरभूमि विकास कार्यक्रम	डी.आर.डी.ए.	5.87	2.64
7.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (प्रशासन)	डी.आर.डी.ए.	23.08	22.54
8.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	डी.आर.डी.ए.	26.60	23.92
9.	सर्व शिक्षा अभियान	शिक्षा सदन सोसाइटी	767.96	694.28
10.	प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	शिक्षा सदन सोसाइटी	1.72	2.3
11.	कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय	के.जी.बी.वी.	2.26	3.72
12.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	हरियाणा राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति	276.10	282.54
13.	राष्ट्रीय बागबानी मिशन	एन.ए.	76.39	90.82
14.	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	डी.आर.डी.ए.	61.00	36.49
15.	मिड डे मील	शिक्षा सदन सोसाइटी	267.32	247.80
	कुल		2,009.71	1,979.71


(स्रोत: संबंधित विभागों तथा वित्त लेखाओं द्वारा आपूरित सूचना।)

यह देखा जा सकता है कि राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (केन्द्रीय हिस्सा) को प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित निधियों में 2012-13 के दौरान ₹ 30 करोड़ की कमी हुई। कमी मुख्यतः प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना ₹ 24.51 करोड़ (40 प्रतिशत), सर्व शिक्षा अभियान: ₹ 73.68 करोड़


(10 प्रतिशत), मिड डे मील: ₹ 19.52 करोड़ (7.3 प्रतिशत) तथा मरूस्थल विकास कार्यक्रम: ₹ 16.25 करोड़ (49 प्रतिशत) के अंतर्गत थी। तथापि, निधियों के हस्तांतरण की वृद्धि मुख्यतः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम ₹ 63.83 करोड़ (20 प्रतिशत) के अंतर्गत तथा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम ₹ 27.71 करोड़ (77 प्रतिशत) के अंतर्गत थी।

1.3 राजस्व प्राप्तियां

वित्त लेखाओं की विवरणी 11 सरकार की राजस्व प्राप्तियों का ब्यौरा देती है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य के अपने कर तथा कर-भिन्न राजस्व, केंद्रीय कर अन्तरण तथा भारत सरकार से सहायतानुदान शामिल होते हैं। 2008-13 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों एवं संघटकों को परिशिष्ट 1.4 में प्रस्तुत किया गया है तथा क्रमशः चार्ट 1.4 एवं 1.5 में भी दर्शाया गया है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)



राज्य की राजस्व प्राप्तियां 2008-09 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान 82 प्रतिशत तक बढ़ गईं। उसी अवधि के दौरान राज्य का अपना कर राजस्व 90 प्रतिशत तक, भा.स. से सहायता अनुदान 28 प्रतिशत तक तथा केंद्रीय कर अंतर 178 प्रतिशत तक बढ़ गए। कुल राजस्व में राज्य के अपने राजस्व (कर राजस्व और कर-भिन्न राजस्व) का हिस्सा 2008-09

में 81 प्रतिशत से 2012-13 में 84 प्रतिशत तक बढ़ गया। भा.स. से सहायता अनुदान का हिस्सा 2008-09 में 10 प्रतिशत से 2012-13 में सात प्रतिशत तक कम हो गया।

2003-04 से 2011-12 के दौरान 15.21 प्रतिशत पर राजस्व प्राप्तियों की कंपाऊंड वार्षिक वृद्धि दर सामान्य श्रेणी राज्यों की वृद्धि दर (17.48 प्रतिशत) से कम थी। 2003-04 से 2012-13 की अवधि हेतु यह वृद्धि दर 14.61 प्रतिशत तक कम हो गई (परिशिष्ट 1.1)। सरा.घ.उ. के संबंध में राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां तालिका 1.5 में दर्शाई गई हैं:

तालिका 1.5: सरा.घ.उ. के संबंध में राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व प्राप्तियां (आर.आर.) (₹ करोड़ में)	18,452	20,993	25,564	30,558	33,634
आर.आर. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-) 6.58	13.77	21.77	19.54	10.07
आर.आर./सरा.घ.उ. (प्रतिशत)	10.11	9.39	9.65	9.93	9.52
उत्प्लावकता अनुपात					
सरा.घ.उ. के संबंध में राजस्व उत्प्लावकता	(-) 0.322	0.612	1.175	1.216	0.676
सरा.घ.उ. के संबंध में राज्य की स्वयं की कर उत्प्लावकता	0.016	0.597	1.457	1.338	1.040
राज्यों के स्वयं के करों के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	(-) 20.65	1.03	0.81	0.91	0.65
राज्य के सरा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	1,82,522	2,23,600	2,65,033	3,07,606	3,53,440
सरा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	20.4	22.51	18.53	16.06	14.90

राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर, जो 2008-09 में निगेटिव थी 2010-11 में 21.77 प्रतिशत तक बढ़ गई परन्तु उसके बाद 2012-13 में 10.07 प्रतिशत तक घट गई। सरा.घ.उ. से राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशतता अनुपात भी 2008-09 में 10.11 से घटकर 2012-13 में 9.52 रह गया। सरा.घ.उ. के संदर्भ में राज्य की स्वयं की कर उत्प्लावकता 2008-09 में 0.016 से बढ़कर 2010-11 में 1.457 हो गई, किंतु उसके बाद 2012-13 के दौरान 1.040 तक घट गई। सरा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता भी 2008-09 में (-) 0.322 से बढ़कर 2011-12 में 1.216 हुई किंतु 2012-13 में कम हो कर 0.676 हो गई। अपने कर-राजस्व के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता 2009-10 में 1.03 से 2012-13 में 0.65 तक घट गई।

1.3.1 राज्य के स्वयं के रिसोर्सिज

चूंकि केंद्रीय करों एवं सहायता-अनुदानों में राज्य का हिस्सा वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय होता है, रिसोर्सिज जुटाने में राज्य के निष्पादन का आकलन इसके स्वयं के कर एवं कर-भिन्न स्रोतों से संयुक्त रिसोर्सिज के संदर्भ में किया जाता है।

ते.वि.आ. तथा मा.अ.वि.नी. द्वारा किए गए निर्धारणों की तुलना में वर्ष 2012-13 के लिए राज्य की वास्तविक कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां तालिका 1.6 में दी गई हैं।

तालिका 1.6: ते.वि.आ. तथा म.अ.वि.नी. द्वारा किए गए निर्धारण की तुलना में वास्तविक कर एवं कर-भिन्न प्राप्ति

(₹ करोड़ में)

	ते.वि.आ. प्रोजेक्शन	बजट अनुमान	म.अ.वि.नी. प्रोजेक्शन	वास्तविक	पर वास्तविक की प्रतिशत भिन्नता		
					ते.वि.आ. प्रोजेक्शन	बजट अनुमान	म.अ.वि.नी. प्रोजेक्शन
कर-राजस्व	23,154	23,873	23,873	23,559	1.75	(-) 1.32	(-) 1.32
कर-भिन्न राजस्व	14,981	4,805	4,805	4,673	(-) 68.81	(-) 2.73	(-) 2.73

राज्य के अपने कर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक संग्रहण ते.वि.आ. द्वारा किए गए प्रोजेक्शनज से 1.75 प्रतिशत अधिक था किंतु बजट अनुमानों तथा म.अ.वि.नी. में किए गए प्रोजेक्शनज से 1.32 प्रतिशत तक कम रहा। कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां ते.वि.आ., बजट अनुमानों तथा म.अ.वि.नी. में किए गए प्रक्षेपणों से क्रमशः 69 तथा 2.73 प्रतिशत तक कम रही।

1.3.1.1 कर राजस्व

प्रमुख करों एवं शुल्कों के संबंध में कुल संग्रहण तालिका 1.7 में दिए गए हैं तथा चार्ट 1.6 2008-13 के दौरान राज्य के अपने कर राजस्व के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियां दर्शाता है।

तालिका 1.7: राज्य के अपने स्रोतों के घटक


(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
बिक्रियों व्यापार आदि पर कर	8,154.73	9,032.33 (11)	11,082.01 (23)	13,383.69 (21)	15,376.58 (15)
राज्य उत्पाद शुल्क	1,418.53	2,059.02 (45)	2,365.81 (15)	2,831.89 (20)	3,236.48 (14)
वाहनों पर कर	239.30	277.07 (16)	457.36 (65)	740.15 (62)	887.30 (20)
स्टाम्प ड्यूटी तथा रजिस्ट्रेशन फीस	1,326.39	1,293.56 (-2)	2,319.28 (79)	2,793.00 (20)	3,326.25 (19)
भूमि राजस्व	8.58	9.45 (10)	10.02 (6)	10.95 (9)	12.98 (19)
माल तथा यात्रियों पर कर	370.29	391.45 (6)	387.14 (-1)	429.32 (11)	470.76 (10)
अन्य कर ¹	137.46	156.70 (14)	168.75 (3)	210.46 (31)	248.67 (18)
कुल	11,655.28	13,219.58 (13)	16,790.37 (27)	20,399.46 (22)	23,559.02 (15)

(पिछले वर्ष पर प्रतिशतता वृद्धि कोष्ठकों में दर्शाई गई है)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

¹ अन्य करों में, कृषि भूमि से अन्य अचल संपत्ति पर कर, विद्युत तथा कृषि आय पर कर एवं शुल्क शामिल है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2008-13 के दौरान कर राजस्व ₹ 11,904 (102 प्रतिशत) तक बढ़ गया। सभी प्रमुख करों एवं शुल्कों ने कर राजस्व में वृद्धि दर्ज की किंतु बिक्री कर, राज्य आबकारी, स्टाम्प शुल्क तथा वाहनों पर कर वृद्धि के प्रमुख कंट्रीब्यूटर थे।

2003-04 से 2011-12 के दौरान 15.71 प्रतिशत पर कर राजस्व की कंपाऊंड वार्षिक वृद्धि दर अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों की वृद्धि दर (17.44 प्रतिशत) से कम थी। 2003-04 से 2012-13 की अवधि में यह वृद्धि दर 15.67 प्रतिशत तक घट गई (परिशिष्ट 1.1)। राज्य का अपना कर राजस्व सरकार द्वारा अपने वि.सु.प. (24,475 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों तथा म.अ.वि.नी.वि. (₹ 23,873 करोड़) में प्रक्षेपण से कम था।

1.3.1.2 कर-भिन्न राजस्व


पांच वर्षों (2008-13) के दौरान कर-भिन्न राजस्व की वृद्धि तालिका 1.8 में दी गई है तथा चार्ट 1.7 2008-13 के दौरान राज्य के कर-भिन्न राजस्व के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियां दर्शाता है।

तालिका 1.8: 2008-13 के दौरान कर-भिन्न राजस्व की वृद्धि

राजस्व शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
ब्याज प्राप्तियां	776.28	667.88	689.34	864.96	1,058.21
		(-14)	(3)	(25)	(22)
डिविडेंड तथा लाभ	8.27	9.60	2.48	1.64	7.05
		(16)	(-74)	(-34)	(330)
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	2,453.90	2,064.45	2,729.11	3,855.05	3,607.89
		(-16)	(32)	(41)	(-6)
ए) बृहद् तथा मध्यम सिंचाई	74	219	202	583	139
बी) सड़क परिवहन	645	700	762	853	1000
सी) शहरी विकास	885	134	975	1039	991
डी) शिक्षा	156	285	270	296	385
इ) अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	196	247	83	76	76
कुल	3,238.45	2,741.39	3,420.93	4,721.65	4,673.15
		(-15)	(25)	(38)	(-1)

(पिछले वर्ष पर प्रतिशतता वृद्धि कोष्ठकों में दर्शाई गई है)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2008-13 के दौरान कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां ₹ 1,435 करोड़ (44 प्रतिशत) तक बढ़ गईं। कर-भिन्न राजस्व (₹ 4,673 करोड़) ने गत वर्ष पर ₹ 49 करोड़ (1.03 प्रतिशत) की कमी दर्ज करते हुए 2012-13 के दौरान कुल प्राप्ति का 14 प्रतिशत संघटित किया।

1.3.2 भा.स. से सहायतानुदान

भा.स. से सहायतानुदान पिछले वर्ष से 2012-13 में ₹ 415.68 करोड़ तक घट गए जैसा तालिका 1.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.9: भा.स. से प्राप्त सहायतानुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
गैर योजनागत अनुदान	523.37	1,617.34 (209)	1,765.98 (9)	1,246.51 (-29)	851.62 (-32)
राज्य प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	731.32	920.37 (26)	749.74 (-19)	674.54 (-10)	727.75 (8)
केंद्रीय प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	31.98	50.87 (59)	87.79 (73)	50.79 (-42)	44.32 (-13)
केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान	547.29	668.72 (22)	447.11 (-33)	783.09 (75)	715.56 (-9)
कुल	1,833.96	3,257.30 (78)	3,050.62 (-6)	2,754.93 (-10)	2,339.25 (-15)

(पिछले वर्ष पर प्रतिशतता वृद्धि कोष्ठकों में दर्शाई गई है)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.3.3 केंद्रीय कर अंतरण

केंद्रीय कर अंतरण 2011-12 में ₹ 2,682 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 3,062 करोड़ हो गए जैसा तालिका 1.10 में दिया गया है।

तालिका 1.10: 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान केंद्रीय कर अंतरण

(₹ करोड़ में)

कर का नाम	ते.वि.आ. की सिफारिशें	2011-12 के लिए वास्तविक	2012-13 के लिए वास्तविक
कारपोरेशन कर	राज्यों को केंद्रीय करों की	1,055.55	1,100.02
आयकर	हिस्से योग्य राशि का 32	536.17	658.56
वित्त कर	प्रतिशत	4.07	1.84
कस्टमज		464.96	508.89
संघीय उत्पाद शुल्क		300.88	345.84
सेवाकर		319.92	446.98
कुल		2,681.55	3,062.13

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

ते.वि.आ. ने केंद्रीय करों के राज्यों के हिस्से को 30.50 से 32 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की। तदनुसार, केंद्रीय कर (सेवा कर को छोड़कर) की निवल आय तथा सेवा कर की निवल आय में राज्य का हिस्सा क्रमशः 1.048 तथा 1.064 प्रतिशत तय किया गया था। 2012-13 के दौरान प्राप्त संघीय करों का हिस्सा (₹ 3,062.13 करोड़) अनुमान (₹ 3,179.90 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से ₹ 117.77 करोड़ तक कम था।

पिछले वर्ष की तुलना में संघीय करों एवं शुल्कों के राज्य के हिस्से में ₹ 380.58 करोड़ तक की वृद्धि मुख्यतः निगम कर (₹ 44.47 करोड़), सीमा शुल्क (₹ 43.93 करोड़), निगम कर से अन्य आय पर कर (₹ 122.39 करोड़) तथा सेवा कर (₹ 127.06 करोड़) और संघीय उत्पाद शुल्क (₹ 44.96 करोड़) के अंतर्गत थी।

1.3.4 ते.वि.आ. अनुदानों का आप्टीमाइजेशन

वर्ष 2012-13 के दौरान ते.वि.आ. की सिफारिशों को पूरा करने के लिए बनाए गए बजट अनुमान किए गए व्यय तालिका 1.11 में दिए गए हैं।

तालिका 1.11: ते.वि.आ. की सिफारिशों के विरुद्ध परिव्यय तथा व्यय के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	विभाग का नाम	स्कीम	अनुमोदित आउट-ले	रिवाइज्ड आउट-ले	वास्तविक व्यय	रिवाइज्ड आउट-ले से वास्तविक व्यय की प्रतिशतता
1.	वन	वनों का संरक्षण	2.20	2.20	3.60	164
2.	पंचायतें	पी.आर.आई. स्कीम पारंपरिक जल स्रोतों के संवर्धन	231.26	246.39	246.39	100
3.	इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी	एस.यू.आई.डी.ए.आई. के अंतर्गत राज्य नागरिकों के लिए यूनिट आई.डी.	6.42	6.42	00	00
4.	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी काउंसिल/सहायतानुदान इनोवेशनस काउंसिल आदि के लिए प्रशासनिक स्थापना	10.50	10.50	10.50	100
5.	प्रारंभिक शिक्षा	प्रारंभिक शिक्षा	46.00	46.00	46.00	100
6.	मेडिकल शिक्षा	मेवात मेडिकल कालेज	25.00	35.00	10.00	29

क्र. स.	विभाग का नाम	स्कीम	अनुमोदित आउट - ले	रिवाइज्ड आउट - ले	वास्तविक व्यय	रिवाइज्ड आउट - ले से वास्तविक व्यय की प्रतिशतता
7.	स्वास्थ्य	स्वास्थ्य मूलभूत संरचना का विकास	50.00	100.00	50.00	50
		आई.एम.आर.	--	12.22	--	--
8.	जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग	शिवालिक तथा दक्षिणी हरियाणा	75.00	75.00	38.17	51
		मेवात विभाग	25.00	25.00	0.90	4
9.	पुलिस हाउसिंग	पुलिस स्टेशनों का निर्माण	25.00	25.00	25.00	100
10.	शहरी विकास	विकास कार्य टी.एफ.सी.	92.44	95.55	60.81	64
		अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवाएं (टी.एफ.सी.)	25.00	25.00	--	--
11.	औद्योगिक प्रशिक्षण	मेवात में प्रशिक्षण मूलभूत संरचना का विकास	25.00	25.00	7.84	31
	कुल		638.82	729.28	499.21	68

(स्रोत: वित्त विभाग द्वारा आपूरित आंकड़े)

₹ 499.21 करोड़ का वास्तविक व्यय ते.वि.आ. की सिफारिशों को पूरा करने के लिए बनाए गए संशोधित परिव्यय का 68 प्रतिशत था।

1.4 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में ऋणों की वसूलियां तथा उधार अग्रिमों की प्राप्तियां, अर्थात् आंतरिक एवं भा.स. से तथा विविध पूंजीगत प्राप्तियों के माध्यम से प्राप्तियां शामिल हैं। पांच वर्षों (2008 - 13) के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों के विवरण तालिका 1.12 में दिए गए हैं।

तालिका 1.12: प्राप्तियों की वृद्धि एवं गठन में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
पूंजीगत प्राप्तियां (सी.आर.)	4,246.66	8,677.60	10,083.78	11,070.19	15,573.73
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	6.80	9.39	8	9.24	10.81
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	351.80	212.84	233.05	294.12	349.38
लोक ऋण प्राप्तियां	3,888.06	8,455.37	9,842.73	10,766.83	15,213.54
पिछले वर्ष पर वृद्धि की दर (प्रतिशत)					
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों का		117	16	9	41
गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों का		(-) 38	8	26	19
सरा.घ.उ.	20.4	22.51	18.53	16.06	14.90
पूंजीगत प्राप्तियों का		104	16	10	41

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.4.1 डिसइन्वेस्टमेंट से आय

वर्ष 2012 - 13 के दौरान पूंजीगत डिसइन्वेस्टमेंट से कुल आय ₹ 10.81 करोड़ थी जो पिछले वर्ष (₹ 9.24 करोड़) से 16.99 प्रतिशत अधिक है।

1.4.2 ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां

वर्ष के दौरान ₹ 349.38 करोड़ की राशि के ऋण एवं अग्रिमों की वसूली की गई थी। 31 मार्च 2013 को ₹ 3,488.48 करोड़ के कुल बकाया ऋणों एवं अग्रिमों में से ₹ 176.38 करोड़ के ऋण एवं अग्रिम गैर-कार्यचालन कंपनी हरियाणा राज्य लघु सिंचाई निगम (ट्यूब वेलस) लिमिटेड (ह.रा.ल.सि.नि.लि.) चण्डीगढ़ से वसूलनीय थे।

1.4.3 आंतरिक स्रोतों से उधार प्राप्ति

2012-13 के दौरान आंतरिक उधार प्राप्तियों के रूप में ₹ 15,162.39 करोड़ की राशि प्राप्त की गई थी जो पिछले वर्ष से ₹ 4,493.28 करोड़ (42 प्रतिशत) अधिक थी। बाजार ऋणों के रूप में ₹ 9,330 करोड़ के ऋण, वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों से ₹ 5,158.23 करोड़ तथा नेशनल स्माल सेविंग्स फंड्स से ₹ 674.16 करोड़ 2012-13 के दौरान उठाए गए थे।

1.4.4 भा.स. से ऋण एवं अग्रिम

भा.स. से कुल ऋण एवं अग्रिम 2011-12 में ₹ 2,053.27 करोड़ से ₹ 75.54 करोड़ तक घटकर 2012-13 में ₹ 1,977.73 करोड़ हो गए थे। भा.स. से ₹ 51.15 करोड़ के ऋण प्राप्त किए गए थे तथा वर्ष के दौरान ₹ 126.69 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया था।

1.5 लोक लेखा प्राप्ति

लघु बचतों, भविष्य निधियों, रिजर्व फंड्स जमाओं, सस्पेंस, रैमीटेंस इत्यादि जैसे कुछ निश्चित लेन-देनों, जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होते, के संबंध में प्राप्तियों एवं सवितरणों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत लोक लेखा सैटअप में रखा जाता है तथा राज्य विधानमंडल द्वारा वोट के अधीन नहीं है। सवितरण के बाद शेष सरकार के पास उपयोग हेतु उपलब्ध निधि है।

तालिका: 1.13: 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान लोक लेखा में शेष के विवरण

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
लोक लेखा प्राप्ति					
ए) लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	6,609.43	7,471.36	8,219.16	8,937.68	9,395.64
बी) आरक्षित निधि	1,519.42	1,839.94	1,786.37	2,152.24	2,712.91
सी) जमा तथा अग्रिम	2,220.85	2,747.49	3,064.15	3,890.71	4,487.76
डी) उचंचत तथा विविध	(-) 39.61	4.88	(-) 45.25	37.48	129.46
इ) प्रेषण	(-) 6.93	(-) 289.88	15.20	230.08	157.48
कुल	10,303.16	11,772.91	13,039.63	15,248.19	16,883.25

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)


लोक लेखाओं के अंतर्गत शेष पांच वर्षों (2008-13) की अवधि में ₹ 6,580 करोड़ (64 प्रतिशत) तक बढ़ गए।

1.6 रिसोर्सिज का अनुप्रयोग

संसाधनों के अनुप्रयोग के विश्लेषण, विभिन्न शीर्षों जैसे व्यय की वृद्धि एवं संघटन, राजस्व व्यय, प्रतिबद्ध व्यय, वेतनों, ब्याज भुगतानों, सब्सिडीयों, पेंशन भुगतानों पर व्यय तथा फ्लैगशिप स्कीमों पर व्यय के अंतर्गत अनुवर्ती अनुच्छेदों में किए जाते हैं।

1.6.1 व्यय की वृद्धि एवं संघटन

चार्ट 1.8 गत पांच वर्षों (2008-13) की अवधि के कुल व्यय में प्रस्तुत करता है तथा वर्ष 2008-09 से 2012-13 के लिए 'आर्थिक वर्गीकरण' एवं 'कार्यकलापों' द्वारा व्यय दोनों के संदर्भ में इसका संघटन क्रमशः चार्ट 1.9 एवं 1.10 में प्रदर्शित किया गया है।




तालिका 1.14 गत पांच वर्षों (2008-13) के पूंजीगत व्यय की वृद्धि को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.14: पूंजीगत व्यय की वृद्धि

(₹ करोड़ में)


	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
पूंजीगत व्यय	4,502	5,218	4,031	5,372	5,762
वृद्धि दर (प्रतिशत)	31	16	(-)23	33	7
कुल व्यय की प्रतिशतता	17.75	16.67	12.19	14.13	12.99

पांच वर्षों (2008-13) की अवधि में कुल व्यय 75 प्रतिशत तक बढ़ गया। यह पिछले वर्ष से 17 प्रतिशत तक बढ़ गया। प्लान तथा नॉन-प्लान व्यय का हिस्सा 31 प्रतिशत तथा 69 प्रतिशत के अनुपात में था। इस अवधि के दौरान, राजस्व व्यय 85 प्रतिशत और पूंजीगत व्यय 28 प्रतिशत तक बढ़ गया। 2008-09 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान ऋणों और अधिमों का संचितरण भी 57 प्रतिशत तक बढ़ गया।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।)

कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा 2008-09 में 80.94 प्रतिशत से 2012-13 में 85.83 प्रतिशत तक बढ़ गया जबकि कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा 2008-09 में 17.75 प्रतिशत से 2012-13 में 12.99 प्रतिशत तक घट गया तथा संवितरित ऋणों एवं अग्रिमों का हिस्सा भी 2008-09 में 1.31 प्रतिशत से घटकर 2012-13 में 1.18 प्रतिशत हो गया। कुल व्यय से गै.यो.रा.व्य. का अनुपात 2008-09 में 65.50 प्रतिशत से घटकर 2012-13 में 64.51 प्रतिशत हो गया। सर.घ.उ. से गै.यो.रा.व्य. का अनुपात 2008-09 में 9.10 प्रतिशत से घटकर 2012-13 में 8.10 प्रतिशत हो गया।



व्यय के विभिन्न घटकों के संबंधित हिस्सों के चलन ने प्रकट किया कि जबकि ब्याज भुगतानों तथा सामाजिक सेवाओं सहित सामान्य सेवाओं का हिस्सा 2008-09 में क्रमशः 25 तथा 33 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में क्रमशः 27 तथा 36 प्रतिशत हो गया, आर्थिक सेवाओं का हिस्सा 2008-09 में 41 प्रतिशत से कम होकर 2012-13 में 36 प्रतिशत हो गया जबकि उसी अवधि में सहायतानुदान का हिस्सा समान रहा। सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं का संयुक्त हिस्सा, जिससे विकास व्यय निरूपित किया है, भी 2008-09 में 74 प्रतिशत से कम होकर 2012-13 में 72 प्रतिशत हो गया।

1.6.2 राजस्व व्यय

तालिका 1.15 पांच वर्षों (2008-13) के राजस्व व्यय की वृद्धि प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.15: राजस्व व्यय की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व व्यय	20,534	25,257	28,310	32,015	38,072
वृद्धि दर (प्रतिशत)	17	23	12	13	19
स.रा.घ.उ. से प्रतिशतता	11	11	11	10	11
योजनेत्तर राजस्व व्यय (गै.यो.रा.व्य.)	16,616	19,542	22,059	24,223	28,616
राजस्व व्यय गै.यो.रा.व्य. की प्रतिशत	81	77	78	76	75

2008-13 के दौरान राजस्व व्यय 12 तथा 23 प्रतिशत के मध्य रही वृद्धि दर के साथ ₹ 17,538 करोड़ (85 प्रतिशत) तक बढ़ गया किंतु उसी अवधि के दौरान स.रा.घ.उ. से इसकी प्रतिशतता लगभग 11 प्रतिशत पर स्थिर रही।

राजस्व व्यय वर्ष 2011-12 में ₹ 32,015 करोड़ से 19 प्रतिशत बढ़कर 2012-13 में ₹ 38,072 करोड़ हो गया जो कि मुख्यतः आर्थिक सेवाओं (₹ 2,503 करोड़) तथा सामान्य सेवाओं पर व्यय (₹ 1,677 करोड़) में वृद्धि के कारण, मुख्य रूप से पेंशनों (₹ 432 करोड़) और ब्याज भुगतानों (₹ 743 करोड़) पर अधिक व्यय के कारण था। गत वर्ष की तुलना में सामाजिक सेवाओं पर भी व्यय मुख्यतः शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 735 करोड़), जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास (₹ 415 करोड़) पर अधिक व्यय के कारण ₹ 1,875 करोड़ तक बढ़ गया। राजस्व व्यय के गै.यो.रा.व्य. (75 प्रतिशत) तथा योजनागत राजस्व व्यय (यो.रा.व्य.) (25 प्रतिशत) में विघटन ने दर्शाया कि गै.यो.रा.व्य. का अनुपातिक हिस्सा यो.रा.व्य. से बहुत अधिक था। राजस्व व्यय में ₹ 6,057 करोड़ की कुल वृद्धि में गै.यो.रा.व्य. और यो.रा.व्य. के क्रमशः ₹ 4,393 करोड़ और ₹ 1,664 करोड़ शामिल थे।

2012-13 में ₹ 28,616 करोड़ का गै.यो.रा.व्य., ते.वि.आ. के मानकी निर्धारण (₹ 20,360 करोड़), वि.सु.प. के प्रक्षेपण (₹ 27,410 करोड़) तथा सरकार द्वारा इसके म.अ.वि.नी.वि. के प्रक्षेपण (₹ 28,614 करोड़) से अधिक था (परिशिष्ट 1.6)।

1.6.3 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी, पेंशनों तथा परिदानों पर व्यय शामिल हैं। 2008-13 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्तियों को तालिका 1.16 एवं चार्ट 1.11 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.16: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)


प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वेतन एवं मजदूरियां जिसका है	6,546 (35)	8,440 (40)	9,809 (38)	9,960 (33)	11,550	11,464* (34)
गैर - योजनागत शीर्ष	6,069	7,746	8,974	9,070	10,469	10,280
योजनागत शीर्ष**	477	6,94	835	890	1,081	1,184**
ब्याज भुगतान	2,339 (13)	2,737 (13)	3,319 (13)	4,001 (13)	5,261	4,744 (14)
पेंशनों पर व्यय	1,614 (9)	2,390 (11)	3,094 (12)	3,204 (10)	3,470	3,636 (11)
परिदान	3,190 (17)	3,089 (15)	3,285 (13)	3,853 (13)	4,348	5,454 (16)
कुल	13,689	16,656	19,507	21,018	24,629	25,298

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा प्रदत्त सूचना)।

नोट: कोष्ठकों में दर्शाए गये आंकड़े राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता इंगित करते हैं।

* ₹ 110.49 करोड़ की मजदूरियां शामिल हैं।

** योजनागत शीर्ष में केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत दिये गये वेतन एवं मजदूरियां भी सम्मिलित हैं।



वेतन, ब्याज एवं पेंशन भुगतानों पर कुल व्यय (₹ 19,734 करोड़) सरकार द्वारा इसके वि.सु.प. (₹ 18,070 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से ₹ 1,664 करोड़ (नौ प्रतिशत) अधिक था तथा ते.वि.आ. में प्रक्षेपित 51 प्रतिशत के विरुद्ध राजस्व प्राप्तियों का 59 प्रतिशत उपयुक्त किया। चार घटकों अर्थात् वेतन एवं मजदूरी, ब्याज, पेंशन भुगतान तथा सबसिडी ने 2012-13 के दौरान गै.यो.रा.व्य. का लगभग 88 प्रतिशत संघटित किया।

वेतनों पर व्यय

2008-09 से 2012-13 के दौरान वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय (₹ 11,464 करोड़) 75 प्रतिशत बढ़ गया। 2003-04 से 2011-12 तथा 2003-04 से 2012-13 के दौरान वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय की कंपाऊंड वार्षिक विकास दर 15 प्रतिशत थी (परिशिष्ट 1.1)। वेतनों पर व्यय (₹ 11,354 करोड़) राज्य के अपने वि.सु.प. (₹ 9,810 करोड़), ते.वि.आ. के निर्धारण (₹ 7,253 करोड़) से अधिक था किंतु म.अ.वि.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपण (₹ 11,438 करोड़) से कम था (परिशिष्ट 1.6)।

ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान (₹ 4,744 करोड़), पांच वर्ष (2008-13) की अवधि में 103 प्रतिशत बढ़ गया। गत वर्ष की तुलना में 2012-13 के दौरान ₹ 743 करोड़ (19 प्रतिशत) की वृद्धि थी। राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान की प्रतिशतता 2008-13 के दौरान लगभग स्थिर रही। 2012-13 के दौरान ब्याज भुगतान सरकार द्वारा अपने वि.सु.प. में किए गए प्रक्षेपणों (₹ 4,620 करोड़) और ते.वि. आ. द्वारा किए गए निर्धारण (₹ 4,616 करोड़) से अधिक थे किंतु म.अ.वि.नी.एस. के प्रक्षेपणों (₹ 5,112 करोड़) के भीतर थे (परिशिष्ट 1.6)। बाजार उधारों तथा उन पर ब्याज दरों में वृद्धि के कारण ब्याज भुगतान का भार वर्ष-दर-वर्ष बढ़ता गया।

सबसिडीज

सबसिडीज पर भुगतान 2008-09 में ₹ 3,190 करोड़ से ₹ 2,264 करोड़ (71 प्रतिशत) बढ़कर 2012-13 में ₹ 5,454 करोड़ हो गया, जो राजस्व प्राप्तियों का 16 प्रतिशत था। ₹ 5,454 करोड़ के कुल सबसिडीज में से ₹ 5,132 करोड़ (94 प्रतिशत) विद्युत एवं ऊर्जा क्षेत्रों के लिए थे। बिजली एवं ऊर्जा क्षेत्र को कुल परिदान वि.सु.प. में प्रक्षेपण (₹ 3,650 करोड़) से अधिक था (परिशिष्ट 1.6)।

सबसिडीज आंशिक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं क्योंकि ये अप्रत्यक्ष सबसिडीज को छोड़कर हैं। अप्रत्यक्ष सबसिडीज साथ-साथ प्रकट होते हैं जब सरकार, सामाजिक तथा आर्थिक माल/सेवाएं सरकार को माल एवं सेवाओं की लागत से कम मूल्य पर प्रदान करती है। यह अप्रत्यक्ष हो सकती है, किसी माल के रूप में भी हो सकती है या रियायतों के रूप में हो सकती है। 2012-13 के दौरान प्रदान किए गए कुछ अप्रत्यक्ष सबसिडीज तालिका 1.17 में दिए गए हैं।

तालिका 1.17: कुछ अप्रत्यक्ष सबसिडीज के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	स्कीम/सब्सिडी	बजट अनुमान	व्यय
1.	आस्थगित कर/वैट के बदले में ब्याज मुक्त ऋण	10.00	10.00
2.	मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रीएंट डैफिशिएंसी मैनेज करने की स्कीम	8.00	2.06
3.	सस्टेनएबल एग्री स्ट्रेटजिक इनीसिएटिवज के प्रमोशन की स्कीम	10.00	9.04
4.	हरियाणा में इंटीग्रेटेड बागवानी विकास के लिए स्कीम	7.50	8.27
5.	हाई-टैक डेरी यूनिट्स की स्थापना के लिए स्कीम	2.00	1.94
6.	सहकारी बैंकों द्वारा अग्रिम दिए गए लघु अवधि फसल ऋणों पर ब्याज की दर पर छूट	30.40	17.17

क्र.सं.	स्कीम /सब्सिडी	बजट अनुमान	व्यय
7.	डेरी सहकारी को सहायता (सैस की प्रतिपूर्ति)	3.85	1.73
8.	ग्रामीण आवास स्कीम के अंतर्गत मकानों के निर्माण के लिए ऋण	3.75	2.63
9.	सहकारी शुगर मिलों को ऋण-सभी सहकारी शुगर मिलों को ऋणों का पुराने समायोजन	92.00	92.00
10.	राजस्व अर्निंग स्कीमों के लिए ग्राम पंचायत को ब्याज मुक्त ऋण	3.54	2.18
11.	बुक बैंक - मिडल स्कूल	9.00	9.00
12.	कक्षा VI में अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफ्त साइकिल प्रदान करना।	12.00	4.64

(स्रोत: विस्तृत विनियोजन लेखे)

पेंशन भुगतान

2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान पेंशन भुगतान (₹ 3,636 करोड़) 125 प्रतिशत तक बढ़ गई परन्तु राजस्व प्राप्तियों से इसकी प्रतिशतता 2008-09 में नौ से 2012-13 में 11 तक बढ़ गई। 2003-04 से 2011-12 के दौरान पेंशन पर व्यय की कंपाऊंड वार्षिक वृद्धि दर 19.59 प्रतिशत थी जो 2003-04 से 2012-13 की अवधि हेतु 18.87 प्रतिशत तक कम हो गई (परिशिष्ट 1.1)। 2012-13 में पेंशन भुगतानों पर व्यय ते.वि.आ. द्वारा किए गए आकलनों (₹ 2,347 करोड़) से अधिक था परन्तु सरकार द्वारा ₹ 3,640 करोड़ के अपने वि.सु.प. में किए गए प्रक्षेपणों से कम था (परिशिष्ट 1.6)। 1 जनवरी 2006 से राज्य द्वारा पेंशन देयताओं की बढ़ोतरी को पूरा करने के लिए एक नई अंशदायी पेंशन स्कीम आरम्भ की गई थी।

फलैगशिप स्कीमों: व्यय की स्थिति

फलैगशिप स्कीमों, राष्ट्र के इनक्लुसिव डेवलपमेंट की ओर भारत सरकार के कमिटमेंट का इन्टीग्रल एंड क्रिटिकल पार्ट हैं। केंद्रीय सरकार, हरियाणा सरकार के मंत्रालयों, उनकी फंक्शनरीज तथा विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों/गै.स.सं. द्वारा फलैगशिप स्कीमों के लिए 2011-12 के दौरान निम्नलिखित राशियां जारी की गई थी।

तालिका 1.18: हरियाणा में कार्यान्वित फलैगशिप स्कीमों के अंतर्गत

निधियों की उपलब्धता की तुलना में व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	आरंभिक शेष	से प्राप्त निधियां			कुल	व्यय	उपलब्ध निधियों से व्यय की प्रतिशतता
			भा.स.	राज्य का हिस्सा	आरंभिक शेष सहित अन्य स्रोत			
1	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	77.10	282.54	96.00	20.00	474.14	365.14	77
2	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	17.95	349.36	34.40	(-) 19.09	282.62	377.73	99
3	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	39.23	55.15	57.12	12.11	163.61	109.61	67
4	इन्दिरा आवास योजना	4.46	63.67	20.23	3.88	92.24	80.27	87
5	सर्व शिक्षा अभियान	156.16	338.10	258.06	--	752.32	654.73	87
6	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (क) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीम	43.98	313.41	260.38	--	617.77	529.26	86

क्र.सं.	स्कीम का नाम	आरंभिक शेष	से प्राप्त निधियां			कुल	व्यय	उपलब्ध निधियों से व्यय की प्रतिशतता
			भा.स.	राज्य का हिस्सा	आरंभिक शेष सहित अन्य स्रोत			
	(ख) मरुस्थल विकास कार्यक्रम	28.81	140.53	--	--	169.34	108.87	64
7	दोपहर का भोजन स्कीम	36.02	178.52	53.46	--	268.00	247.80	93
8	एकीकृत बाल विकास सेवाएं स्कीम	(-) 21.59	317.68	99.28	--	395.37	367.06	93
9	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	43.73	--	--	3.02	46.75	38.73	83
10	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नदीकरण मिशन	28.54	75.01	30.00	9.98	143.53	140.53	98
11	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	23.47	--	--	1.91	25.38	15.87	63

(स्रोत: वित्तीय लेखे एवं संबंधित विभागों से प्राप्त सूचना।)

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम तथा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत उपलब्ध निधियों की उपयोगिता मार्च में भा.स. द्वारा निधियां जारी करने के कारण 63 तथा 77 प्रतिशत के मध्य थी।

1.6.4 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को अनुदानों एवं ऋणों के माध्यम से दी गई सहायता की प्रमात्रा तालिका 1.19 में दी गई है।

तालिका 1.19: स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13		
					बजट अनुमान	वास्तविक	भिन्नता की प्रतिशतता
शिक्षा संस्थाएं (सहायतित स्कूल, सहायतित कालेज, विश्वविद्यालय आदि)	538.49	446.03	741.79	648.39	1,215.85	1,140.09	(-) 6
नगर निगम तथा नगरपालिकाएं	464.45	306.24	291.43	894.67	1,125.30	1,274.01	13
जिला परिषद और अन्य पंचायती राज संस्थाएं	412.16	366.26	267.83	722.40	977.52	882.65	(-) 10
विकास अभिकरण	268.75	333.48	388.23	480.96	461.89	450.65	(-) 2
अस्पताल तथा धर्मार्थ संस्थाएं	46.80	125.79	211.97	357.67	611.05	580.02	(-) 5
अन्य	322.72	368.89	322.21	201.92	438.49	320.53	(-) 27
कुल	2,053.37	1,946.69	2,223.46	3,306.01	4,830.10	4,647.95	(-) 4
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सहायता	10	8	8	10		12	

(स्रोत: वी.एल.सी. डाटा से एकत्रित सूचना)

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता 2008-09 में ₹ 2,053.37 करोड़ से 2012-13 के दौरान राजस्व व्यय का 12 प्रतिशत संघटित करते हुए, ₹ 4,647.95 करोड़ तक बढ़ गई। गत वर्ष की तुलना में ₹ 1,341.94 करोड़ (41 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्यतः नगर निगमों तथा नगरपालिकाओं (₹ 379.34 करोड़), शैक्षिक संस्थाओं (₹ 491.70 करोड़) तथा अस्पतालों एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाओं (₹ 222.35 करोड़) को सहायता में वृद्धि के कारण थी।

विकास एजेंसियों को सहायता क्रमशः ₹ 30.31 करोड़ तक कम हो गई, ₹ 4,830.10 करोड़ के अनुमानित प्रावधान के विरुद्ध, ₹ 4,647.95 करोड़ की वित्तीय सहायता निर्मुक्त की गई थी। बजट अनुमान की तुलना में विकास एजेंसियों, शैक्षणिक संस्थाओं, अस्पतालों तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाओं, जिला परिषदों एवं अन्य पंचायती राज संस्थाओं को वास्तविक निर्मुक्ति में कमी की रेंज दो और 27 प्रतिशत के मध्य थी।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक मूलभूत संरचनाओं की उपलब्धता सामान्यतः इसके व्यय की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। व्यय की गुणवत्ता के सुधार में मूलतः तीन पहलू सम्मिलित होते हैं अर्थात् व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रावधान); व्यय की कुशलता (प्रयोग) तथा इसकी प्रभावशीलता (चयनित सेवाओं के लिये परिव्यय - परिणाम संबंधों का आकलन)।

1.7.1 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

मानवीय विकास बढ़ाने के लिये राज्यों द्वारा मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर उनका व्यय बढ़ाना अपेक्षित है। तालिका 1.20 विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र पर व्यय तथा पूंजीगत व्यय से संबंधित सरकार की 2012-13 के दौरान वित्तीय प्राथमिकता एवं वित्तीय क्षमता का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.20: 2009-10 और 2012-13 में राज्य की वित्तीय प्राथमिकता और वित्तीय क्षमता

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	कु.व्य. / स.रा.घ.उ.	वि.व्य./ कु.व्य.	सा.क्षे.व्य. /कु.व्य.	पू.व्य. / कु.व्य.	शिक्षा / कु.व्य.	स्वास्थ्य / कु.व्य.
* सामान्य श्रेणी राज्य ² औसत (अनुपात) 2009-10	17.06	66.05	35.73	14.96	16.19	4.24
हरियाणा का औसत (अनुपात) 2009-10	14.00	73.80	36.38	16.67	16.99	3.50
हरियाणा का औसत (अनुपात) 2012-13	15.93	65.79	32.77	13.23	17.23	4.47
सामान्य श्रेणी राज्य औसत (अनुपात) 2012-13	12.55	71.85	35.99	12.99	16.11	3.61

* तीन राज्यों अर्थात् दिल्ली, गोवा तथा पुदुचेरी को छोड़कर सामान्य श्रेणी राज्य।
कु.व्य. - कुल व्यय, वि.व्य. - विकास व्यय, सा.क्षे.व्य. - सामाजिक क्षेत्र व्यय, पू.व्य. - पूंजीगत व्यय।
विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूंजीगत व्यय और सवितरित ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है।
स.रा.घ.उ. का स्रोत: राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय से सूचना प्राप्त की गई थी।

² सामान्य श्रेणी राज्य - विशेष श्रेणी राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा तथा उत्तराखंड) के रूप में नामांकित 11 राज्यों से पृथक अन्य राज्य।

वित्तीय प्राथमिकता:

- सर.घ.उ. के अनुपात के रूप में हरियाणा का कुल व्यय 2009-10 तथा 2012-13 दोनों वर्षों में सामान्य श्रेणी राज्यों की तुलना में कम था।
- सरकार ने 2009-10 तथा 2012-13 में वि.व्य. को पर्याप्त वित्तीय प्राथमिकता दी, क्योंकि कु.व्य. से इसका अनुपात अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों के औसत अनुपात से अधिक था।
- कु.व्य. से पू.व्य. का अनुपात 2012-13 में सामान्य श्रेणी राज्यों के अनुपात से अधिक था।
- कु.व्य. से शिक्षा पर व्यय का अनुपात 2012-13 में सामान्य श्रेणी राज्यों के अनुपात से कम था।
- हरियाणा में स्वास्थ्य को दी गई प्राथमिकता 2009-10 तथा 2012-13 में सामान्य श्रेणी राज्यों से कम थी।

1.7.2 व्यय प्रयोग की कुशलता

सामाजिक एवं आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विकास शीर्षों पर सार्वजनिक व्यय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, सरकार के लिये समुचित व्यय की तर्कसंगत व्यवस्था करना तथा कोर पब्लिक और मैरिट गुड्स के प्रावधान पर बल देना आवश्यक है। विकास व्यय आबंटन में सुधार करने के अतिरिक्त, विशेषरूप से हाल के वर्षों में उधार देने पर व्यय में कमी के कारण सृजित किए जा रहे फिस्कल स्पेस के दृष्टिगत, कुल व्यय (और/अथवा सर.घ.उ.) से पूंजीगत व्यय का अनुपात और वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के परिचालन एवं रख-रखाव पर किए जा रहे राजस्व व्यय के समानुपात के द्वारा भी व्यय प्रयोग की दक्षता प्रतिबिम्बित होती है। इन घटकों का कुल व्यय (और/अथवा सर.घ.उ.) से अनुपात जितना उच्चतर होगा उतनी ही अच्छी व्यय की गुणवत्ता होगी। विकास व्यय में सामाजिक-आर्थिक सेवाओं में ऋणों एवं अग्रिमों सहित राजस्व तथा पूंजीगत व्यय शामिल है। तालिका 1.21 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान राज्य के कुल व्यय के संबंध में विकास व्यय में प्रवृत्तियों को दर्शाती है। चार्ट 1.12 2008-13 के दौरान घटक-वार विकास व्यय प्रस्तुत करता है। तालिका 1.22 चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के रख-रखाव पर किए गए राजस्व व्यय के घटकों तथा पूंजीगत व्यय के विवरण प्रदान करती है।


तालिका 1.21: विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
					बजट अनुमान	वास्तविक
विकास व्यय (क से ग तक)	18,743 (74)	23,103 (74)	23,266 (70)	27,192 (72)	32,235 (71)	31,868 (72)
क) विकास राजस्व व्यय	14,294 (56)	17,432 (56)	18,901 (57)	21,696 (57)	27,283 (60)	26,073 (59)
ख) विकास पूंजीगत व्यय	4,307 (17)	5,031 (16)	3,832 (12)	5,137 (14)	4,433 (10)	5,511 (12)
ग) विकास ऋण एवं अग्रिम	142 (1)	640 (2)	533 (1)	359 (1)	519 (1)	284 (1)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

(नोट: कोष्ठकों में आंकड़े कुल व्यय की प्रतिशतता सूचित करते हैं।)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान विकास व्यय 70 प्रतिशत तक बढ़ गया। यह व्यय, जिसने कुल व्यय का 72 प्रतिशत संघटित किया, 2011-12 में ₹ 27,192 करोड़ से मात्र ₹ 4,676 करोड़ (17 प्रतिशत) बढ़कर 2012-13 में ₹ 31,868 करोड़ हो गया। राजस्व व्यय ने विकास व्यय का 82 प्रतिशत संघटित किया जबकि ऋणों और अग्रिमों सहित पूंजीगत व्यय का हिस्सा केवल 18 प्रतिशत था। विकास पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष से 7 प्रतिशत बढ़ गया। ₹ 32,235 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध वास्तविक व्यय ₹ 31,868 करोड़ था।

तालिका 1.22: चयनित सामाजिक व आर्थिक सेवाओं में व्यय-प्रयोग की कुशलता

सामाजिक /आर्थिक आधारभूत संरचना	2011-12			2012-13		
	कु.व्य. से पू.व्य. का अनुपात	रा.व्य. में का हिस्सा		कु.व्य. से पू.व्य. का अनुपात	रा.व्य. में का हिस्सा	
		वे. व म.	प. व र.		वे. व म.	प. व र.
सामाजिक सेवाएं (सा.से.)						
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	0.012	66.25	0.02	0.017	68.36	0.017
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.040	62.57	*	0.003	52.39	*
जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	0.337	19.80	5.52	0.305	19.15	4.844
कुल (सा.से.)	0.117	54.84	1.31	0.105	54.28	1.175
आर्थिक सेवाएं (आ.से.)						
कृषि एवं संबंधित गतिविधियां	0.420	43.99	2.01	0.493	40.77	1.926
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	0.471	44.04	8.62	0.456	44.13	9.857
विद्युत एवं ऊर्जा	0.182	0.03	-	0.037	0.02	-
परिवहन	0.388	41.38	3.65	0.380	36.53	3.735
कुल (आ.से.)	0.329	22.68	2.27	0.287	19.31	2.157
कुल (सा.से. + आ.से.)	0.224	40.79	1.73	0.201	37.89	1.636

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

कु.व्य.: कुल व्यय; पू.व्य.: पूंजीगत व्यय, रा.व्य.: राजस्व व्यय, वे. व म.: वेतन एवं मजदूरियां; प. व रव.: परिचालन एवं रख-रखाव; * राशि नगण्य

कुल व्यय से सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय का अनुपात 2011-12 में 0.117 तथा 0.329 से 2012-13 में 0.105 तथा 0.287 तक कम हो गया।

सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत, वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय का हिस्सा 2011-12 में 54.84 प्रतिशत से 2012-13 में 54.28 प्रतिशत तक थोड़ा सा कम हो गया। ओ. एवं एम. पर व्यय का हिस्सा 2011-12 में 1.31 प्रतिशत से कम होकर 2012-13 में 1.17 प्रतिशत हो गया। आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत वेतनों एवं मजदूरियों का हिस्सा 2011-12 में 22.68 प्रतिशत से 2012-13 में 19.31 प्रतिशत तक कम हो गया। ओ. एवं एम. का हिस्सा भी 2011-12 में 2.27 प्रतिशत से कम होकर 2012-13 में 2.16 प्रतिशत हो गया। सामाजिक सेवाएं एवं आर्थिक सेवाएं संयुक्त के अन्तर्गत वेतनों एवं मजदूरियों का हिस्सा 2011-12 में 40.79 प्रतिशत से 2012-13 में 37.89 प्रतिशत तक कम हो गया। ओ. एवं एम. का हिस्सा भी 2011-12 में 1.73 प्रतिशत से कम होकर 2012-13 में 1.64 प्रतिशत हो गया।

1.8 राजकीय व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

पोस्ट रा.उ.ब.प्र. अधिनियम 2005 के फ्रेमवर्क में राज्य से अपना राजकोषीय घाटा (और उधारों) न केवल निम्न स्तर पर रखने बल्कि पूंजीगत व्यय/निवेश (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) की जरूरतों की पूर्ति की भी आशा की जाती है। इसके अतिरिक्त, सरकार को अप्रत्यक्ष परिदानों के रूप में बजट में खर्च करने के बजाय इसके निवेशों पर पर्याप्त आमदनी कमाने और उधार ली गई निधियों की लागत वसूल करने के उपाय शुरू करने और वित्तीय परिचालनों में पारदर्शिता लाने के लिये जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है। यह धारा पिछले वर्ष की तुलना में 2012-13 के दौरान सरकार द्वारा किये गये निवेशों और अन्य पूंजीगत व्यय के विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

1.8.1 सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम

मार्च 2013 के अंत पर ₹ 411.61 करोड़ के पूंजीगत परिव्यय वाली सात सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणामों ने दर्शाया कि 2012-13 के दौरान इन परियोजनाओं से प्राप्त राजस्व (₹ 120.33 करोड़) पूंजीगत परिव्यय का 29 प्रतिशत था। कार्यचालन एवं रख-रखाव व्यय (₹ 246.66 करोड़) तथा ब्याज प्रभारों (₹ 20.58 करोड़) को वहन करने के पश्चात् ₹ 146.91 करोड़ की हानि थी।

1.8.2 अपूर्ण परियोजनायें

31 मार्च 2013 को अपूर्ण परियोजनाओं से सम्बन्धित विभागवार सूचना तालिका 1.23 में दी गई है। अपूर्ण परियोजनाओं के अन्तर्गत केवल वे परियोजनायें सम्मिलित की गई हैं जिनकी पूर्ण करने की निश्चित तिथि 31 मार्च 2013 के पहले ही समाप्त हो चुकी है।

तालिका 1.23: अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	प्रारम्भिक बजट लागत	परियोजनाओं की संशोधित कुल लागत	मार्च 2013 तक कुल व्यय
भवन एवं सड़कें	59	370.66	-	277.56
सिंचाई	1	0.41	-	0.04
पर्यटन	6	3.03	-	1.52
कुल	66	374.10	-	279.12

(स्रोत: संबंधित विभागों से एकत्रित सूचना।)

तीन विभागों की 66 परियोजनाओं के पूर्ण करने की निश्चित तिथि दिसंबर 2007 और मार्च 2013 के मध्य थी, परन्तु ये ₹ 279.12 करोड़ के निवेश से वांछित लाभों को प्राप्त न करने सहित जून 2013 तक अपूर्ण थी। समय पर क्लीयर साईट प्रदान न करने, ठेकेदारों को उचित डिजाईन एवं ड्रॉइंग्स उपलब्ध न करने इत्यादि के कारण इन परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब थे।

1.8.3 निवेश एवं प्रतिलाभ

31 मार्च 2013 तक सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों और सहकारिताओं में ₹ 7,240.02 करोड़ का निवेश किया था (तालिका 1.24)। पिछले पांच वर्षों में इन निवेशों पर औसत प्रतिलाभ 0.10 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2008-13 के दौरान उधारों पर 9.18 प्रतिशत की औसत ब्याज दर अदा की।

तालिका 1.24: निवेशों पर प्रतिलाभ

निवेश/प्रतिलाभ/उधारों की लागत	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वर्ष के अन्त पर निवेश (₹ करोड़ में)	5,031.32	5,575.18	6,376.98	6,981.91	7,629.33	7240.02
प्रतिलाभ (₹ करोड़ में)	8.27	9.60	2.48	1.64	9.31	7.05
प्रतिलाभ (प्रतिशत)	0.16	0.17	0.04	0.02	0.12	0.10
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	7.82	9.29	9.22	9.73	8.71	9.86
ब्याज दर और प्रतिलाभ के बीच अन्तर (प्रतिशत)	7.66	9.12	9.18	9.71	8.59	9.76

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

सरकार द्वारा निवेश 2008-09 से 2012-13 तक पांच वर्षों की अवधि में 44 प्रतिशत बढ़ा, जबकि निवेशों से प्रतिलाभ 2008-09 में ₹ 8.27 करोड़ (0.16 प्रतिशत) से 2012-13 में ₹ 7.05 करोड़ (0.10 प्रतिशत) तक घट गए। सरकार ने अपने उधारों पर 2008-13 के दौरान 7.82 से 9.86 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज अदा किया जबकि उसी अवधि के दौरान निवेशों से प्रतिलाभ की प्रतिशतता 0.02 और 0.17 के बीच रही। 2012-13 के दौरान बजट प्रावधान (₹ 647.42 करोड़) के विरुद्ध ₹ 258.11 करोड़ के निवेश थे।

₹ 6,757 करोड़ के कुल निवेश सहित बारह सरकारी कम्पनियां नुकसान उठा रही थी और इन कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत लेखाओं के अनुसार उनकी संचित हानियां ₹ 17,593 करोड़ राशि की थी

(परिशिष्ट 1.7)। यह देखना उपयुक्त है कि 2012-13 में सरकार द्वारा उ.ह.बि.वि.नि.लि.³ (₹ 33 करोड़), द.ह.बि.वि.नि.लि.⁴ (₹ 33 करोड़) ह.पा.जे.नि.लि.⁵ (₹ 58 करोड़) तथा ह.वि.प्र.नि.लि.⁶ (₹ 75 करोड़) की साम्या पूंजी में कुल ₹ 199 करोड़ (77 प्रतिशत) का निवेश किया गया था। इन चार⁷ विद्युत उत्पादन एवं वितरण कम्पनियों में ₹ 17,017 करोड़ की हानियों ने सरकारी कम्पनियों की कुल हानियों (₹ 17,593 करोड़) का 97 प्रतिशत संघटित किया। हानियां मुख्यतः टैरिफ के नान-रीविजन तथा भारी एग्रीगेट तकनीकी एवं कार्मशियल हानियों (ए.त.व्या.का.हा.) को आरोप्य थी।

राज्य सरकार ने फाइनेशियल रीस्ट्रक्चरिंग प्लान (फारी.प्ला.) अनुमोदित किया (मार्च 2013) तथा फारी.प्ला. को फाइनल करने के लिए स्टेट लेवल मानीटरिंग कमेटी (स्टे.ले.मा.क.) को प्राधिकृत किया। 31 मार्च 2013 को लघु अवधि देयताओं के 50 प्रतिशत टेक ओवर की राशि ₹ 7,381.53 करोड़ एस.एल.एम.सी. द्वारा मान ली गई है (जुलाई 2013)। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों (डिस्कोमस) ने अगस्त 2013 में फारी.प्ला. को अनुमोदित किया। मुख्य शीर्ष, जिनके अंतर्गत प्लान कार्यान्वित किया जाना है, एफिशियनशी इम्प्रूवमेंट पैरामीटर्ज, एलिमिनेशन आफ एवरेज कॉस्ट आफ सप्लाई (ए.सी.एस.) तथा मोराटोरियम पीरियड के भीतर एवरेज रेवेन्यू रियलाइज्ड (ए.आर.आर.) गैप लॉस रीडक्शन प्लान है।

ते.वि.आ. ने भी सिफारिश की कि राज्य सरकार को मार्च 2011 तक गैर-कार्यचालन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) को बंद करने के साथ-साथ उनके अपनिवेश तथा निजीकरण विचार करने के लिए एक मार्गचित्र रेखांकित करना चाहिए। 31 मार्च 2013 को सात⁸ गैर-कार्यचालन सा.क्षे.उ. (सभी कंपनियां) थे। इनमें से दो⁹ सा.क्षे.उ. बंद होने के अधीन थे परन्तु उनकी समापन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई थी। राज्य सरकार ने गैर-कार्यचालन सा.क्षे.उ. के अपनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्गठन की क्रिया भी शुरू नहीं की थी।

1.8.4 विभागीय रूप से प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रम

कुछ सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों द्वारा अर्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के कार्य भी किये जाते हैं। उस वर्ष, जिसके प्रोफार्मा लेखे अन्तिमकृत किये गये थे, तक सरकार द्वारा किये गये निवेशों की विभागवार स्थिति, निवल लाभ/हानि के अतिरिक्त इन उपक्रमों में निवेश की गई पूंजी पर प्रतिलाभ **परिशिष्ट 1.8** में दिए गए हैं। निम्नलिखित बिन्दु अवलोकित किए गए थे:

³ उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड।

⁴ दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड।

⁵ हरियाणा पावर जेनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड।

⁶ हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड।

⁷ 31 मार्च 2013 को संचित हानियां: उ.ह.बि.वि.नि.लि. (₹ 12,424 करोड़), द.ह.बि.वि.नि.लि. (₹ 4,307 करोड़), ह.पा.जे.नि.लि. (₹ 164 करोड़) और ह.वि.प्र.नि.लि. (₹ 22 करोड़)।

⁸ (i) हरियाणा राज्य लघु सिंचाई (ट्यूबवैल) निगम, (ii) हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड, (iii) हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड, (iv) हरियाणा चर्म उद्योग लिमिटेड, (v) हरियाणा राज्य लघु उद्योग तथा निर्यात निगम लिमिटेड (vi) हरियाणा राज्य हथकरघा तथा हस्तशिल्प निगम तथा (vii) हरियाणा खनिज लिमिटेड।

⁹ (i) हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड तथा (ii) हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड।

- सरकार द्वारा पांच उपक्रमों में उस वित्तीय वर्ष, जिसके लेखे अन्तिमकृत किए गए थे, के अंत तक ₹ 4,302.87 करोड़ की राशि निवेशित की गई थी।
- केवल दो उपक्रमों ने ₹ 26.02 करोड़ की निवेशित पूंजी के विरुद्ध ₹ 1.39 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया जिससे 5.34 प्रतिशत के प्रतिलाभ की दर प्राप्त हुई।
- नुकसान में चल रहे उपक्रमों में से हरियाणा रोडवेज छः वर्षों से अधिक समय से लगातार नुकसान में चल रहा था और कृषि विभाग (बीज डिपो योजना) ने पिछले 25 वर्षों से अपने प्रोफार्मा लेखे तैयार नहीं किये थे।
- ₹ 4,276.85 करोड़ के कुल निवेश के विरुद्ध तीन¹⁰ विभागीय उपक्रमों की संचित हानियां ₹ 432.39 करोड़ थी।

1.8.5 लोक निजी साझेदारी में निवेश

सामाजिक तथा भौतिक मूलभूत संरचना का पर्याप्त विकास उपलब्ध कराने के विचार से, जो आर्थिक वृद्धि कायम रखने के लिए अनिवार्य है, राज्य सरकार ने मूलभूत संरचना के विकास के लिए लोक निजी साझेदारी (लो.नि.सां.) माध्यम को अपनाया।

इसके अन्तर्गत, राज्य सरकार ने ₹ 752.92 करोड़ (परिशिष्ट 1.9) की कुल अनुमानित लागत से 21 परियोजनाएं पूर्ण कीं। 31 मार्च 2013 को ₹ 58,821.70 करोड़ की कुल अनुमानित लागत के साथ 15 लो.नि.सां. परियोजनाएं (परिशिष्ट 1.10) कार्यान्वयन अधीन थीं।

गुड़गांव – फरीदाबाद तथा बल्लभगढ़ – सोहना मार्ग

“गुड़गांव – फरीदाबाद तथा बल्लभगढ़ – सोहना मार्गों के डिजाइन, इंजीनियरिंग, वित्त, निर्माण, आपरेशन एंड मेंटीनेंस” का कार्य निर्माण अवधि सहित 17 वर्षों की रियायत अवधि के लिए बिल्ड आपरेट ट्रांसफर बेसिस पर जनवरी 2009 में एक एजेंसी को अलाट किया गया था। रियायतग्राही ने अग्रिम में एकमुश्त में रियायत राशि के रूप में ₹ 150.30 करोड़ का भुगतान किया। इंजीनियर-इन-चीफ, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) (ई.आई.सी.) के कार्यालय में परियोजना के अभिलेखों की लेखापरीक्षा (जुलाई 2013) के दौरान यह देखा गया था कि:

- भारतीय स्टाम्प (भा.स्टा.) अधिनियम की धारा 2 (16) के अंतर्गत लीज एग्रीमेंट के रूप में कंसेसन एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार को स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस, इत्यादि के कारण ₹ 53.05 लाख के राजस्व की हानि हुई।
- रियायतग्राही ने 24 अगस्त 2009 को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ₹ 150.30 करोड़ की कंसेसन राशि का भुगतान किया। परंतु डिमांड ड्राफ्ट 24 नवंबर 2009, अर्थात्

¹⁰ कृषि विभाग (बीज डिपो स्कीम): ₹ 0.10 करोड़, खाद्य एवं आपूर्ति (अनाज आपूर्ति स्कीम): ₹ 230.01 करोड़ तथा हरियाणा रोडवेज: ₹ 202.28 करोड़।

तीन माह के विलंब के पश्चात, को भुनाया गया था। इसके परिणामस्वरूप ब्याज के कारण ₹ 3.49 करोड़ की हानि हुई।

- ई.आई.सी. ने समय पर मील-पत्थर प्राप्त न करने हेतु 30 अगस्त 2011 में ₹ 3.96 करोड़ के नुकसान के कारण जुर्माना लगाया। परंतु रिआयतग्राही से जुलाई 2013 तक राशि वसूल नहीं की गई थी। नुकसान का भुगतान न करने के लिए 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ₹ 1.11 करोड़ का ब्याज प्रभार लगाना देय था। रिआयतग्राही से ₹ 5.07 करोड़ (ब्याज के रूप में ₹ 1.11 करोड़ सहित) की राशि वसूलनीय थी।
- परियोजना 31 मई 2011 तक पूर्ण की जानी अपेक्षित थी किंतु कार्य वास्तव में 29 जून 2012 को पूरा किया गया था। 53 सप्ताहों का विलंब था किंतु प्रत्येक सप्ताह के विलंब के लिए कुल परियोजना लागत की 0.01 प्रतिशत की दर पर नुकसान की उगाही नहीं की गई थी।
- इंडीपेंडेंट कंसल्टेंट के पारिश्रमिक के आधे के रूप में ₹ 88.07 लाख की राशि रिआयतग्राही से वसूलनीय थी।
- प्रोविजनल कंपलीशन सर्टिफिकेट 29 जून 2012 को जारी किया गया था किंतु कार्य की कुछ मदों के पूरा न होने के कारण कंपलीशन सर्टिफिकेट जुलाई 2013 तक जारी नहीं किया गया था।

1.8.6 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों और कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त सरकार अनेक संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान कर रही थी। तालिका 1.25 31 मार्च 2013 को बकाया ऋणों एवं अग्रिमों तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान ब्याज अदायगियों की तुलना में ब्याज प्राप्तियों को दर्शाती है।

तालिका 1.25: राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋणों/ब्याज प्राप्तियों/उधारों की लागत की प्रमात्रा	2010-11	2011-12	2012-13	
			बजट अनुमान	वास्तविक
प्रारम्भिक शेष	2,494	2,983		3,316
वर्ष के दौरान अग्रिम दी गई राशि	722	627	874	522
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि	233	294	299	349
अन्त शेष	2,983	3,316		3,489
लम्बित शेष जिसके लिए नियम व शर्तें निर्धारित की गई हैं	2983	3,316		3,489
निवल बढ़ोतरी	489	333	575	173
ब्याज प्राप्तियां	54	58	119	69
बकाया ऋणों व अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज प्राप्तियां	1.97	1.84	3.60	2.03
राज्य सरकार की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रतिशतता के रूप में ब्याज भुगतान	7.17	7.34	8.70	7.32
ब्याज भुगतान एवं ब्याज प्राप्तियों के बीच अन्तर (प्रतिशत)	5.20	5.5	5.10	5.29

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 173 करोड़ के नेट एडीशन के कारण 31 मार्च 2013 को कुल बकाया ऋण एवं अग्रिम ₹ 3,489 करोड़ थे। अग्रिम दिए गए ऋणों पर प्राप्त ब्याज 2012-13 में 2.03 प्रतिशत था तथा वर्ष 2012-13 के दौरान सरकारी उधारों पर प्रदत्त 9.86 प्रतिशत की भारित ब्याज दर ये बहुत कम था। ऋणों एवं अग्रिमों पर वर्ष के दौरान प्राप्त ₹ 69 करोड़ का ब्याज बजटीय प्रक्षेपणों (₹ 119 करोड़) से कम था। वर्ष के दौरान अग्रिम दिए गए ₹ 522 करोड़ में से ₹ 284.20 करोड़ आर्थिक सेवाओं तथा ₹ 237.79 करोड़ सरकारी कर्मचारियों के लिए था।

हरियाणा राज्य लघु सिंचाई (नलकूप) निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़, जो जुलाई 2002 में बंद कर दी गई थी, के विरुद्ध ₹ 1.76 करोड़ के ऋण बकाया थे। ₹ 829.78 करोड़ की राशि के ऋण वर्ष 2002-13 के आरंभ में सहकारी शुगर मिलों के विरुद्ध बकाया थे। आगे, इन शुगर मिलों को ₹ 92 करोड़ के कुल ऋण दिए गए थे तथा पिछले ऋणों के विरुद्ध केवल ₹ 40 करोड़ वसूल किए गए थे।

1.8.7 नकद शेष और नकद शेषों का निवेश

वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के नकद शेषों और नकद शेष के निवेश के तुलनात्मक आंकड़े तालिका 1.26 में दिए गए हैं।

तालिका 1.26: नकद शेष और नकद शेष के निवेश का विवरण

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2012 को आरंभिक शेष	31 मार्च 2013 को अंत शेष
(क) सामान्य नकद शेष		
रिजर्व बैंक में जमा	(-) 50.00	164.43
ट्राजिट लोकल में रिमिटेन्सज	0.54	0.54
कुल	(-) 49.46	164.97
नकद शेष निवेश लेखे में किया गया निवेश	370.74	92.46
कुल (ए)	321.28	257.43
(बी) अन्य नकद शेष तथा निवेश		
विभागीय अधिकारियों के पास नकद यानि लोक निर्माण विभाग अधिकारी, वन विभाग अधिकारी, जिला कलेक्टरज	2.72	2.17
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थाई अग्रिम	0.11	0.11
ईअरमार्कड निधियों का निवेश	1,837.64	2,437.40
कुल (बी)	1,840.47	2,439.68
कुल योग (ए)+(बी)	2,161.75	2,697.11

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

वर्ष के दौरान रोकड़ शेष ₹ 2,161.75 करोड़ से बढ़कर ₹ 2,697.11 करोड़ हो गया। रोकड़ शेषों में से निवेश ₹ 370.74 करोड़ से घटकर ₹ 92.46 करोड़ रह गया। ईअरमार्कड शेषों से निवेश 1 अप्रैल 2012 को ₹ 1,837.64 करोड़ से ₹ 599.76 करोड़ बढ़कर 31 मार्च 2013 को ₹ 2,437.40 करोड़ हो गया, जो मुख्यतः सिंकिंग फंड (₹ 260.07 करोड़) तथा स्टेट डिजास्टर

रिस्पॉन्स फंड (आपदा राहत निधि) (₹ 328.94 करोड़) से निवेशों में वृद्धि के कारण था। वर्ष 2012-13 के दौरान निवेशों से प्राप्त ₹ 35.88 करोड़ का ब्याज वर्ष 2011-12 के दौरान अर्जित ब्याज (₹ 40.64 करोड़) से ₹ 4.76 करोड़ तक कम था।

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अनुबंध के अनुसार सरकार को ₹ 1.14 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष रखना था परन्तु 2012-13 के दौरान 12 दिन के लिए साधारण एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिम ₹ 346.77 करोड़ लेकर न्यूनतम रोकड़ शेष रखा गया था जिसके लिए सात से दस प्रतिशत की दर पर ₹ 78.25 लाख का ब्याज दिया गया था।

शीर्ष 'चैक्स एंड बिल्स' के अंतर्गत बकाया शेष

प्रमुख शीर्ष '8670' चैक्स एंड बिल्स लेन-देनों, जो आखिरकार क्लीयर किए जाने होते हैं, के आरंभिक अभिलेख इंटरमीडियरी अकाउंट हैड का प्रतिनिधित्व करता है। 1 अप्रैल 2012 को ₹ 0.14 करोड़ की राशि बकाया थी। वर्ष के दौरान ₹ 99.34 करोड़ के खजाना चैक एवं बिल प्राप्त किए गए तथा वर्ष 2012-13 की समाप्ति पर अंत शेष के रूप में ₹ 0.11 करोड़ छोड़ते हुए ₹ 99.37 करोड़ वितरित किए गए।

वर्ष 2012-13 के आरंभ में ₹ 370.74 करोड़ के शेष कैश बैलेन्स इनवेस्टमेंट अकाउंट में उपलब्ध थे तथा ₹ 92.46 करोड़ के रूप में अंत शेष दर्शाता है कि राज्य ने नए उधार लेने से पहले अपने मौजूदा नकद शेषों का उपयोग कर लिया था।

1.9 परिसम्पत्तियां एवं देयताएं


1.9.1 परिसम्पत्तियों और देयताओं की बढ़त एवं बनावट

विद्यमान सरकारी लेखांकन प्रणाली में, सरकार के स्वामित्व वाली भूमि एवं भवन जैसी स्थायी परिसम्पत्तियों का विस्तृत लेखांकन नहीं किया जाता है। तथापि, सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं और किये गये व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को सम्मिलित करते हैं। 31 मार्च 2013 को ऐसी देयताओं और परिसम्पत्तियों का सार 31 मार्च 2012 की सदृश स्थिति से तुलना करके **परिशिष्ट 1.5 भाग क एवं ख** में दिया गया है। जबकि इस परिशिष्ट में देयताओं में मुख्यतः आन्तरिक उधारों, भा.स. से ऋणों एवं अग्रिमों, लोक लेखा और रिजर्व फंड से प्राप्तियां शामिल होती हैं, परिसम्पत्तियां मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों तथा रोकड़ शेषों को शामिल करती हैं।

जैसा कि रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में परिभाषित किया गया है 'कुल देयता' से अर्थ है राज्य की समेकित निधि और राज्य के लोक लेखा के अन्तर्गत देयताएं तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लिए गए उधारों और विशेष प्रयोजन वाहनों एवं गारंटियों सहित अन्य समतुल्य दस्तावेजों, जहां मूलधन और/या ब्याज राज्य बजट से दिये जाते हैं, को भी शामिल करती हैं।

1.9.2 राजकोषीय देयताएं

राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्ति को **परिशिष्ट 1.5 भाग - ख** में प्रस्तुत किया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में 2012-13 के दौरान राजकोषीय देयताओं की संरचना को **चार्ट 1.13 और 1.14** में प्रस्तुत किया गया है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 2011-12 में ₹ 54,540 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 64,818 करोड़ हो गई। लोक ऋण (₹ 9,262 करोड़) और लोक खाता देयताओं (₹ 1,016 करोड़) में बढ़ोतरी के कारण पिछले साल से 2012-13 के दौरान वृद्धि दर 18.84 प्रतिशत थी। सरा.घ.उ. से राजकोषीय देयताओं के अनुपात ने वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाई और 2008-09 में 17.63 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 18.34 प्रतिशत हो गया। 2012-13 के अंत में ये देयताएं राजस्व प्राप्तियों का 1.93 गुणा और राज्य के अपने रिसोर्सिज का 2.30 गुणा थी। वर्ष 2012-13 के दौरान राजकोषीय देयताओं पर ब्याज की अदायगी ₹ 4,744 करोड़ (7.32 प्रतिशत) थी। यह देखना महत्वपूर्ण है कि ₹ 64,818 करोड़ की राजकोषीय देयताएं वर्ष 2012-13 में सरकार द्वारा बनाए गए म.अ.वि.नी.एस. में प्रोजेक्टिड ₹ 60,437 करोड़ तथा वि.सु.प. सिकिंग फंड (₹ 60,745 करोड़) की सीमा से अधिक थी।

सरकार ने 2002-03 के दौरान एक समेकित सिकिंग फंड स्थापित किया। पिछले वर्ष की 31 मार्च को बकाया बाजार उधारों के एक प्रतिशत के बराबर राशि प्रत्येक वर्ष इस निधि में जमा की जाती है। सिकिंग निधि में 2012-13 में ₹ 717.10 करोड़ का आरंभिक शेष था। एक वर्ष के दौरान ₹ 260.07 करोड़ (अंशदान: ₹ 210.84 करोड़ तथा निवेश पर आय: ₹ 49.23 करोड़) प्राप्त किया गया था किंतु निधि से कोई सवितरण नहीं किए गए थे। निधि ₹ 977.17 करोड़ पर बंद की गई थी।

1.9.3 रिजर्व फंड के अन्तर्गत लेन-देन

2012-13 के प्रारंभ में रिजर्व फंड ₹ 2,152.24 करोड़ था। वर्ष के दौरान ₹ 666.68 करोड़ की बढ़ोतरी तथा ₹ 106.01 करोड़ के वितरण के कारण अंत शेष ₹ 2,712.91 करोड़ का था। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (आपदा राहत निधि), जो उपर्युक्त रिजर्व फंड का हिस्सा है, में

₹ 1,092.87 करोड़ का आरंभिक शेष था। इसने वर्ष के दौरान ₹ 333.68 करोड़ प्राप्त किए तथा ₹ 47.11 करोड़ वितरित किए और ₹ 1,379.44 करोड़ का अंत शेष था।

1.9.4 इनओपरेटिव रिजर्व फंड्स

वित्त लेखा की विवरणी संख्या 18 में दिए गए विवरणानुसार विशेष प्रयोजनों के लिए चिन्हित 10 रिजर्व फंड्स थे। जिनमें से केवल 7 फंड्स एक्टिव हैं तथा 2012-13 की समाप्ति पर ₹ 12.27 करोड़ के अंत शेष वाले कृषि प्रयोजनों के लिए डेवलपमेंट फंड्स, इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट फंड्स, फूड ग्रेनस रिजर्व फंड्स नामक तीन फंड्स निष्क्रिय हैं।

1.9.5 प्रतिकूल शेष

“8011-बीमा एवं पेंशन फंड, 107-राज्य सरकार कर्मचारी बीमा स्कीम” के अंतर्गत ₹ 42.46 करोड़ के प्रतिकूल शेष थे जो ब्याज राशि के प्रावधान न होने के कारण था। इसी प्रकार, नेशनल सिक्युरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड/ट्रस्टी बैंक को अधिक हस्तांतरण के कारण “8342-अन्य जमा, 117-सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम” के अंतर्गत भी ₹ 23.05 करोड़ का प्रतिकूल शेष था।

1.9.6 गारंटियों की स्थिति-आकस्मिक देयताएं

उधार लेने वालों, जिनके लिये गारंटियां दी गई हैं, के दोषी होने के मामलों में, गारंटियां जो राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयताएं हैं। राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर सरकार जिस सीमा के अन्तर्गत गारंटियां दे सकती है, उसके लिये सविधान की धारा 293 के अन्तर्गत राज्य विधायिका द्वारा कोई कानून नहीं बनाया गया है।

वित्त लेखाओं की विवरणी 9 के अनुसार अधिकतम राशि, जिसके लिये राज्य द्वारा गारंटी दी गई और पिछले तीन वर्षों की बकाया गारंटियां तालिका 1.27 में दी गई है।

तालिका 1.27: हरियाणा सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

(₹ करोड़ में)

गारंटी	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
अधिकतम गारंटीड राशि	5,188	4,757	5,515	10,690	31,958
फीस सहित लम्बित गारंटियों की राशि	4,575	4,536	4,528	5,608	21,124
कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिकम गारंटीड राशि की प्रतिशतता	28	23	22	35	95

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

2012-13 के दौरान सरकार द्वारा गारंटियों के प्रति कोई राशि अदा नहीं की गई थी। 31 मार्च 2013 को गारंटी फीस सहित गारंटियों की ₹ 21,124 करोड़ की बकाया राशि निगमों और बोर्डों (₹ 1,361 करोड़), सहकारी बैंकों और समितियों (₹ 2,747 करोड़), सरकारी कंपनियों (₹ 954 करोड़) और विद्युत (₹ 16,062 करोड़) के विरुद्ध थी।

कुल देयताओं में से उत्पन्न आकस्मिक देयताओं को पूरा करने के लिये 2003-04 के दौरान सरकार ने गारंटी रिडंपशन फंड। 31 मार्च 2013 को इस निधि के अंतर्गत शेष ₹ 80.62 करोड़

था। पूरी राशि निवेश कर दी गई। गारंटी रिडंपशन निधि की शर्तों के अनुसार, सरकार को, बकाया संघटित किया। गारंटियों का कम से कम 1/5 के बराबर राशि जमा वर्ष के दौरान बढ़ाने वाली गारंटियों के परिणामस्वरूप मांगी जाने वाली राशि प्रदान करनी थी। सरकार ने ₹ 10.76 करोड़ जोकि लम्बित गारंटियों का मात्र 0.051 प्रतिशत था। 2012-13 के दौरान गारंटियों सहित कुल देयताएं ₹ 85,942 करोड़ (₹ 64,818 करोड़ + ₹ 21,124 करोड़) रही तथा सर.घ.उ. का 24.32 प्रतिशत थी जो वर्ष के वि.सु.प. में विचारित 22.7 प्रतिशत की सीमा से अधिक थी।

इसके अतिरिक्त सरकार ने विद्युत क्षेत्र में सरकारी कम्पनियों के पक्ष में कुल ₹ 6,183.07 करोड़ के ऋण उगाहने के लिए लैटर्स ऑफ कम्फर्ट बैंको को जारी किए जिनके विरुद्ध 31 मार्च 2013 को ₹ 5,557.93 करोड़ बकाया थे जो आकस्मिक देयताओं के सृजन के लिए थी। इस राशि, सहित कुल लम्बित देयताएं ₹ 91,500 करोड़ होगी तथा इस प्रकार, सर.घ.उ. का 25.89 प्रतिशत होगी।

1.10 ऋण प्रबंध

तालिका 1.28 गत पांच वर्ष के राज्य सरकार के आंतरिक उधार प्रोफाइल का टाइम सीरिज विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.28: राज्य सरकार का आंतरिक ऋण प्रोफाइल तथा प्रति व्यक्ति उधार
(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष	ऋण प्राप्ति	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अंतिम शेष	वृद्धि/कमी	गत वर्ष पर वृद्धि की प्रतिशतता	प्रति व्यक्ति ऋण ₹ में
2008-09	18,410.80	3,822.06	1,178.38	21,054.48	2,643.68	14.36	8,490
2009-10	21,054.48	8,319.96	2,576.41	26,798.03	5,743.55	27.28	10,806
2010-11	26,798.03	10,204.94	4,517.00	32,485.97	5,687.94	21.23	12,790
2011-12	32,485.97	11,643.38	4,786.52	39,342.83	6,856.86	21.11	15,489
2012-13	39,342.83	15,509.16	6,171.45	48,680.54	9,337.71	23.73	19,166

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

राज्य सरकार का आंतरिक उधार 2008-09 में ₹ 18,411 करोड़ से ₹ 30,269.74 करोड़ (164 प्रतिशत) तक बढ़कर 2012-13 में ₹ 48,681 करोड़ हो गया। उधार की वृद्धि दर 2008-09 में 14.36 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 23.73 प्रतिशत हो गई। प्रति व्यक्ति उधार 2008-09 में ₹ 8490 से ₹ 10,676 (126 प्रतिशत) तक बढ़कर 2012-13 में ₹ 19,166 हो गया। बाजार उधारों तथा उन पर ब्याज दरों में वृद्धि के कारण ब्याज भुगतान का भार वर्ष-दर-वर्ष बढ़ता गया।

ऋण पोषण क्षमता

सरकार के ऋण की प्रमात्रा के अतिरिक्त, राज्य की ऋण पोषण क्षमता को निश्चित करने वाले विभिन्न सूचकों का विश्लेषण करना आवश्यक है। यह सैक्शन ऋण स्थिरीकरण; गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता; उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता; ब्याज अदायगियों का भार (ब्याज अदायगियों का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात द्वारा माप की गई) और सरकार की प्रतिभूतियों की मैच्योरिटी प्रोफाइल के संबंध में सरकार की ऋण पोषण क्षमता निर्धारित करता है। तालिका 1.29 2008-09 से आरंभ पांच वर्ष की अवधि के लिये इन सूचकों के अनुसार राज्य के ऋण पोषण का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.29: ऋण पोषण क्षमता: सूचक एवं प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

ऋण स्थिरीकरण के सूचक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
ऋण स्थिरीकरण (प्रमात्रा फौलाव + प्राथमिक घाटा)	(-) 1,283	(-) 5,594	(-) 17	259	(-)2,869
गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (रिसोर्स गैप)	(-) 5,293	(-) 3,533	2,831	105	(-)3,209
उधार निधियों की निवल उपलब्धता	1,113	4,682	3,564	4,642	6,138
ब्याज भुगतानों का भार (आई.पी./आर.आर. अनुपात)	13	13	13	13	14
राज्य ऋण का मेच्योरिटी प्रोफाइल (वर्ष में)					
0 - 1	1,153.46 (5)	2,542.49 (9)	3,275.07 (9)	4,970.85 (12)	6,224.90 (12)
1 - 3	2,790.89 (12)	3,603.25 (12)	4,314.32 (12)	4,585.10 (11)	4,731.52 (9)
3 - 5	3,892.16 (17)	4,024.21 (14)	4,431.02 (13)	3,645.32 (9)	2,450.62 (5)
5 - 7	3,871.19 (17)	3,149.83 (11)	2,115.30 (6)	4,714.03 (11)	8,825.02 (18)
7 वर्ष एवं अधिक		15,377.52 (54)	20,538.33 (60)	23,480.82 (57)	28,423.90 (56)

(कोष्ठकों में आंकड़े कुल राज्य ऋण से प्रतिशतता को सूचित करते हैं)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

ऋण पोषण क्षमता के चार सूचकों में से राज्य ने तीन सूचको पर अच्छा काम किया था। प्रत्येक सूचक की स्थिति निम्नानुसार थी:

यदि प्राथमिक घाटे के साथ प्रमात्रा प्रसार यदि शून्य है तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर रहेगा या ऋण धीरे-धीरे स्थिर हो जाएगा। यदि प्राथमिक घाटे के साथ प्रमात्रा प्रसार 2011-12 में ₹ 259 करोड़ से 2012-13 में (-) ₹ 2,869 करोड़ निगेटिव हो गया।

गैर-ऋण प्राप्तियों और राज्य के कुल व्यय के बीच पोজেटिव रिसोर्स गैप अंतर सरकार की ऋण पोषण की क्षमता में गिरावट को इंगित करता है।

उधार ली गई निधियों से निवल उपलब्ध निधियों की स्थिति 2008-09 में ₹ 1,113 करोड़ से 2012-13 में ₹ 6,138 करोड़ हो गई। 2012-13 के दौरान सरकार ने ₹ 9,330 करोड़ के मार्किट ऋण लिए।

राज्य ऋण की मैच्योरिटी प्रोफाइल, जैसा कि तालिका 1.29 में दी गई है, इंगित करती है कि सरकार को इसके ऋणों का एक से तीन वर्षों के मध्य 9 प्रतिशत, तीन से पांच वर्षों के मध्य 5 प्रतिशत, पांच से सात वर्षों के मध्य 18 प्रतिशत और सात और अधिक वर्षों के बीच 56 प्रतिशत पुनर्भुगतान करना होगा जिसके लिए सरकार को आने वाले वर्षों में ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए निधियां सृजित करने के लिए अपनी वित्त पोषण क्षमता बढ़ानी होगी।

सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अतिरिक्त उधार जो इन महत्वपूर्ण वर्षों में मैच्योर हों, नहीं लिए जाते, ऋण पुनर्भुगतान स्ट्रेटजी तैयार करनी होगी। जब तक ऋण नियंत्रित नहीं किए जाते, राज्य को ऋण सेवा में गंभीर समस्या होगी।

1.10.1 उधार समेकन तथा राहत सुविधा

सरकार ने 2005 में हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम लागू किया। एफ.बी.आर.एम. अधिनियम 2005 लागू/संशोधन करने के पश्चात् वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने भा.स. से समेकित ऋणों के पुनर्भुगतान पर 2008-09 से 2012-13 प्रत्येक वर्ष ₹ 96.67 करोड़ की राहत दी थी।

1.10.2 बाजार उधार

1.10.2.1 प्रस्तावना

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 में प्रावधान है कि राज्य ऐसी सीमाओं, यदि कोई हो, जैसा कि राज्य के विधानमंडल के अधिनियम द्वारा समय-समय पर नियत की जा सकती हैं, के भीतर राज्य की समेकित निधि की सिक्यूरिटी पर भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर उधार ले सकता है। तेरहवें वित्त आयोग (ते.वि.आ.) की सिफारिशों पर केंद्रीय सरकार प्रत्येक राज्य के लिए बनाए गए राजकोषीय घाटा पथ पर आधारित बाजार उधारों पर सीमाएं निर्धारित कर रही है। हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध (रा.उ.ब.प्र.) अधिनियम, 2005 (सैक्शन 9) में प्रावधान किया गया कि आकस्मिक देयताओं सहित कुल उधार अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) के 28 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। बकाया लोक ऋण की सीमा 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 के लिए स.रा.घ.उ. का क्रमशः 22.4, 22.6 तथा 22.7 प्रतिशत तक संशोधित (अप्रैल 2011) की गई थी।

लोक ऋण में राज्य सरकार के आंतरिक ऋण तथा केंद्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल थे। आंतरिक ऋण को आगे बजट ऋणों एवं नेगोसिएटिड ऋणों में विभाजित किया जाता है। भारत सरकार (भा.स.) राज्य सरकारों के बाजार उधारों पर नियंत्रण करती है तथा भारतीय रिजर्व बैंक उनको मैनेज करता है। राज्य सरकारें वेरिंग टेनोर्स की डेटिड सिक्युरिटीज, टर्मड स्टेट डेवलपमेंट लोनस (एस.डी.एल.) जारी करती है।

1.10.2.2 हरियाणा राज्य के बाजार उधारों की स्थिति

ऋण पोषण सक्षमता सूचकों, जिनमें 2008-09 से 2012-13 की अवधि के लिए कुल देयताएं, लोक ऋण, बाजार ऋण इत्यादि शामिल थे, की समग्र स्थिति तालिका 1.30 में दी गई है।

तालिका 1.30: बाजार उधारों सहित ऋण पोषण क्षमता सूचकों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	वित्तीय देयताएं	32,278.00	39,337.00	46,282.00	54,540.00	64,818
2	लोक ऋण	23,085.36	28,794.76	34,666.41	41,396.10	50,658.27
3	मार्किट लोनज	7,247.90	10,931.58	15,089.21	21,084.10	29,658.47
4	कुल देयताओं से मार्किट लोनज की प्रतिशतता	22.45	27.79	32.60	38.66	45.76
5	कुल लोक ऋण से मार्किट लोनज की प्रतिशतता	31.40	37.96	43.53	50.93	58.55
6	मार्किट लोनज पर भारत औसत ब्याज दर - वित्तीय वर्षवार	7.55	8.21	8.42	8.73	8.85
7	मार्किट लोनज पर ब्याज भुगतान	371.74	624.04	1,007.3	1,404.05	1,900.10
8	वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1,82,522	2,23,600	2,65,034	3,07,606 (त.अ.)	3,53,440 (अ.अ.)
9	स.रा.घ.उ. वृद्धि - दर (प्रतिशत में)	20.40	22.51	18.53	16.06	14.90
10	स.रा.घ.उ. वृद्धि - दर तथा ब्याज दर अनुपात	270.20	274.18	220.07	183.96	168.36
11	राजस्व प्राप्ति अनुपात का सकल ब्याज भुगतान	12.68	13.04	12.98	13.09	14.10
12	प्रारंभिक सरप्लस (+)/घाटा (-)	(-) 4,218	(-) 7,353	(-) 3,939	(-) 3,152	(-) 5,618
13	राजस्व सरप्लस (+)/घाटा (-)	(-) 2,082	(-) 4,264	(-) 2,746	(-) 1,457	(-) 4,438
	रा.उ.ब.प्र. अधिनियम के अनुसार नॉर्मस	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
14	वित्तीय घाटा (-)	(-) 6,557	(-) 10,090	(-) 7,258	(-) 7,153	(-) 10,362
15	स.रा.घ.उ. से वित्तीय घाटे की प्रतिशतता	3.59	4.51	2.74	2.33	2.93
	रा.उ.ब.प्र. अधिनियम के अनुसार नॉर्मस	3.5	4	3	3	3
16	स.रा.घ.उ. से कुल देयताओं की प्रतिशतता	17.68	17.59	17.46	17.73	18.34
17	ब्याज तथा गारंटी फीस सहित लंबित गारंटी	4,575	4,536	4,528	5,608	21,124

(स्रोत: वित्त विभाग द्वारा आपूरित आंकड़े संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

त.अ.: तत्काल अनुमान तथा अ.अ.: अग्रिम अनुमान

उपर्युक्त तालिका ने इंगित किया कि:

- यद्यपि बकाया देयताएं, ते.वि.आ. तथा रा.उ.ब.प्र. अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर थीं किंतु देयताओं ने 2008-13 की पांच वर्षों की अवधि के दौरान बढ़ती प्रवृत्तियां इंगित कीं। देयताएं 2008-09 में ₹ 32,278 करोड़ से 100 प्रतिशत तक बढ़कर 2012-13 में ₹ 64,818 करोड़ तक हो गईं तथा लोक ऋण 2008-09 में

₹ 23,085.36 करोड़ से 119 प्रतिशत तक बढ़कर 2012-13 में ₹ 50,658.27 करोड़ हो गए। कुल देयताओं में लोक ऋण का हिस्सा 2008-09 में 71.52 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 78.16 प्रतिशत हो गया।

- प्रवृत्तियों ने दर्शाया कि बाजार ऋण जो 2008-09 की समाप्ति पर ₹ 7,247.90 करोड़ थे, 2012-13 में ₹ 29,658.47 करोड़ तक बढ़ गए। ₹ 22,410.57 करोड़ (309 प्रतिशत) की वृद्धि ने इंगित किया कि सरकार की अपने सुचारू कार्यचालन के लिए बाजार ऋणों पर निर्भरता वर्ष-दर-वर्ष बढ़ गई।
- प्रवृत्तियों ने आगे इंगित किया कि बकाया देयताओं में बाजार ऋणों का हिस्सा 2008-09 में 22.45 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 45.76 प्रतिशत हो गया तथा लोक ऋण में वह 2008-09 में 31.40 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 58.55 प्रतिशत हो गया।
- बाजार उधारों पर भारित औसत ब्याज दर भी 2008-09 में 7.55 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 8.85 प्रतिशत हो गई। बाजार ऋणों पर भुगतान किया गया ब्याज 2008-09 में ₹ 371.74 करोड़ से 411 प्रतिशत तक बढ़कर 2012-13 में ₹ 1,900.10 करोड़ हो गया।
- सरा.घ.उ. वृद्धि दर ने पांच वर्षों की अवधि के दौरान घटती प्रवृत्ति इंगित की जो 2008-09 में 20.40 प्रतिशत से घटकर 2012-13 में 14.90 प्रतिशत रह गई जबकि सरा.घ.उ. से वित्तीय देयता की प्रतिशतता ने बढ़ती प्रवृत्तियां इंगित की तथा उसी अवधि के दौरान 17.68 प्रतिशत से बढ़कर 18.34 प्रतिशत हो गई।
- राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान का अनुपात 2008-09 में 12.68 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 14.10 प्रतिशत हो गया जो इंगित करता है कि पांच वर्षों की इस अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतानों का भार बढ़ गया।

1.10.2.3 बाजार ऋण का प्रोफाइल

2008-09 से 2012-13 के दौरान उठाए गए बाजार ऋणों के संबंध में राज्य सरकार का प्रोफाइल नीचे तालिका 1.31 के अनुसार था:

तालिका 1.31: 2008-09 से 2012-13 के दौरान उठाए गए बाजार ऋणों का प्रोफाइल

ऋण की आवधिकता	उठाए गए ऋणों की राशि (₹ करोड़ में)					कुल
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
< एक वर्ष	-	-	-	-	-	-
1 तथा 3 वर्षों के बीच में	-	-	-	-	-	-
5 तथा 7 वर्षों के बीच में	-	-	-	-	-	-
7 वर्षों से ऊपर	2,795.00	4,000.00	4,450.00	6,356.65	9,330.00	26,931.65
वर्ष के दौरान लिया गया कुल ऋण	2,795.00	4,000.00	4,450.00	6,356.65	9,330.00	26,931.65
31 मार्च तक कुल बकाया	7,247.90	10,931.58	15,089.21	21,084.10	29,658.47	
कुल बकाया ऋणों से उठाए गए ऋण का प्रतिशतता	38.56	36.59	29.49	30.15	31.46	

(स्रोत: वित्त विभाग द्वारा आपूर्ति आंकड़े तथा संबंधित वर्षों के वित्तीय लेखे)

तालिका में दिए गए विवरणों ने इंगित किया कि वर्ष की समाप्ति पर बकाया ऋण गत पांच वर्षों के दौरान 309 प्रतिशत तक बढ़ गए। सरकार ने जल्दी पुनर्भुगतान की धारा शामिल किए बिना दस वर्ष की नियत अवधि की मैच्योरिटी वाले बाजार ऋण लिए जिसने राज्य सरकार को भविष्य में आसान लिक्विडिटी पोजीशन के मामले में इसकी देय तारीख से पहले बाजार ऋणों की लिक्विडिटींग से वंचित कर दिया।

बाजार ऋणों की प्रवृत्तियां

राज्य सरकार द्वारा उठाए गए बाजार ऋणों की वर्षवार प्रवृत्ति तालिका 1.3.2 में दी गई है।

तालिका 1.3.2: 2008-13 के दौरान उठाए गए मार्किट ऋणों की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान उठाए गए	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान किए	अंतिम शेष	निवल वृद्धि
2008-09	4,743.36	2,795.00	290.46	7,247.90	2,504.54
2009-10	7,247.90	4,000.00	316.32	10,931.57	3,683.67
2010-11	10,931.57	4,450.00	292.36	15,089.21	4,157.64
2011-12	15,089.21	6,356.65	361.76	21,084.10	5,994.89
2012-13	21,084.10	9,330.00	755.62	29,658.48	8,574.38

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.10.2.4 बाजार ऋणों की भारत औसत मैच्योरिटी

बाजार उधारों की प्रतिशतता द्वारा भारत मोरगेजिज की मैच्योरिटी से पूर्व शेष औसत समय भारत औसत मैच्योरिटी कहलाता है। गत पांच वर्षों के दौरान बाजार ऋणों की भारत औसत मैच्योरिटी की स्थिति तालिका 1.3.3 में दी गई है।

तालिका 1.3.3: बकाया ऋणों की भारत औसत मैच्योरिटी

(वर्षों में)

वर्ष	भारत औसत मैच्योरिटी	
	वर्ष के दौरान जारी किए	बकाया मार्किट लोनज
2008-09	10	6.86
2009-10	10	7.54
2010-11	10	7.69
2011-12	10	7.80
2012-13	10	7.98

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान बाजार उधारों की भारत औसत मैच्योरिटी 10 वर्षों पर स्थिर रही। बाजार उधारों के बकाया स्टॉक की भारत औसत मैच्योरिटी 2008-09 की समाप्ति पर 6.86 वर्षों से 2012-13 की समाप्ति पर 7.98 वर्षों तक बढ़ गई।

1.10.2.5 बाजार ऋणों का ब्याज दर प्रोफाइल

2008-09 से 2012-13 तक के वर्षों के दौरान वर्षवार औसत ब्याज दर जिस पर राज्य सरकार द्वारा बाजार ऋण लिए गए तालिका 1.3.4 के अनुसार थी।

तालिका 1.3 4: औसत ब्याज दर, जिस पर ऋण उठाए गए थे, का विवरण

ब्याज दर (प्रतिशत)	वर्ष के दौरान उठाए गए मार्किट ऋण (₹ करोड़ में)					
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	कुल
5 से नीचे	-	-	-	-	-	-
5 और 5.99 के बीच	-	-	-	-	-	-
6 और 6.99 के बीच	-	-	-	-	-	-
7 और 7.99 के बीच	2,795	700	-	-	-	3,495
8 और 8.99 के बीच	-	3,300	4,450	4,995	8,680	21,425
9 और 9.99 के बीच	-	-	-	1,362	650	2,012
10 और 10.99 के बीच	-	-	-	-	-	-
भारत औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	7.55	8.21	8.42	8.73	8.85	

(स्रोत: वित्त विभाग द्वारा आपूरित आंकड़े तथा संबंधित वर्षों के वित्तीय लेखे)

तालिका दर्शाती है कि बाजार उधारों पर भारत औसत ब्याज दर 2008-09 में 7.55 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 8.85 प्रतिशत हो गई थी।

1.10.2.6 ओपन मार्किट उधारों का अनुचित उपयोग

सरकार ने विशिष्ट अधिसूचनाएं जारी करके सेल ऑफ स्टॉक (सिक्युरिटीज) के विरुद्ध बाजार ऋण उठाए जिन्होंने विकास कार्यक्रमों के पूंजीगत व्यय का पोषण करने के लिए ऋण की प्राप्ति के उपयोग का प्रावधान किया। यह देखा गया था कि बाजार उधारों से प्राप्त की गई निधियों के उपयोग के लिए पृथक लेखे नहीं बनाए गए थे। इसके बजाए प्राप्त की गई निधियां जनरल पूल अकाउंट को हस्तांतरित की गई थी। परिणामस्वरूप, उन उद्देश्यों, जिनके लिए ऋण लिए गए थे, के उपयोग को लेखापरीक्षा में प्रमाणित नहीं किया जा सका।

सरकार द्वारा नियत उधार सीमाओं, प्राप्त किए गए ऋण तथा किए गए पूंजीगत व्यय के विवरण तालिका 1.3 5 में दिए गए अनुसार हैं।

तालिका 1.3 5: 2008-13 के दौरान वर्षवार उधार लिमिट्स, बजटिड तथा वास्तविक उधार तथा पूंजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उधार लिमिट	बजटिड मार्किट उधार	वास्तविक मार्किट उधार	पूंजीगत व्यय	पूंजीगत व्यय के लिए प्रयोग न किए गए उधार
2008-09	3,797	1,558.70	2,795.00	4,502	शून्य
2009-10	4,253	3,600.46	4,000.00	5,218	शून्य
2010-11	6,927	4,218.73	4,450.00	4,031	419
2011-12	8,162	5,754.05	6,356.65	5,372	985
2012-13	10,115	8,130.33	9,330.00	5,762	3,568

(स्रोत: वित्त विभाग द्वारा आपूरित आंकड़े तथा संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि यद्यपि वास्तविक बाजार उधार ते.वि.आ. द्वारा नियत सीमाओं के भीतर थे किंतु वास्तविक बाजार उधार वर्ष 2009-12 के दौरान बजटिड बाजार उधार से बढ़ गए। आगे, वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान राज्य सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय वास्तविक बाजार उधारों से कम था जो दर्शाता है कि बाजार उधारों की राशि निर्धारित परियोजन के लिए पूर्णतः उपयोग नहीं की गई थी।

वित्त विभाग ने सूचित किया (जून 2013) कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाएं त्रुटिपूर्ण थी तथा तदनुसार 'पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण हेतु' फ्रेज 'टू फाइनेंस स्टेट प्लान आउटले' एक्सप्रेसन के बदले इस्तेमाल किया गया है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अधिसूचनाओं के अनुसार पूंजीगत व्यय जो मार्किट ऋणों से कम था, को वहन करने के लिए ऋण भारतीय रिजर्व बैंक की सहमति से सिक्युरिटीज की बिक्री के विरुद्ध उठाए गए थे।

1.10.2.7 बाजार ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए सिकिंग फंड का उपयोग न करना

सरकार ने वित्तीय वर्ष 2007-08 से बाजार ऋणों के परिशोधन एवं छुटकारे के लिए हरियाणा सरकार के समेकित सिकिंग फंड का गठन किया (जुलाई 2003)। सरकार से वित्त वर्ष 2002-03 से शुरू कर पिछले वर्ष के अंत तक में बकाया ओपन मार्किट ऋणों के 1 से 3 प्रतिशत के मोडेस्ट स्केल पर निधि को अंशदान देना अपेक्षित था। 2008-09 से 2012-13 के दौरान संचित एवं प्रयुक्त निधियों के विवरण तालिका 1.3 6 में दिए गए हैं।

तालिका 1.3 6: सिकिंग फंड की स्थिति तथा वर्षवार योगदान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान किए गए योगदान	वर्ष के दौरान किया गया प्रयोग	वर्ष के अंत में शेष	मार्किट ऋणों की मैच्योरिटी राशि	मार्किट ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए प्रयोग में लाई गई राशि
2008-09	231.26	60.12	-	291.38	290.46	शून्य
2009-10	291.38	98.69	-	390.07	316.32	शून्य
2010-11	390.07	135.91	-	525.98	292.37	शून्य
2011-12	525.98	191.12	-	717.10	361.76	शून्य
2012-13	717.10	260.07	-	977.17	755.56	शून्य

(स्रोत: वित्त विभाग द्वारा आपूरित आंकड़े तथा संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)।

ऊपर दिए गए विवरण दर्शाते हैं कि सिकिंग फंड के शेष ओपन मार्किट ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु उपयोग नहीं किए गए थे। इसके बजाए मार्किट लोन, मार्किट लोन्स के पुनर्भुगतान वहन करने के लिए उठाए गए थे। इस प्रकार, सिकिंग फंड के सृजन का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया था।

दूसरे, सिंकिंग फंड को अंशदान ऋणों को चुकाने के लिए उभरती बाजार ऋण देयताओं के अनुरूप होना चाहिए। वर्ष 2013-14 से 2020-21 के दौरान बाजार ऋणों के परिपक्वता प्रवृत्ति की वर्षवार स्थिति तालिका 1.3.7 में दी गई है।

तालिका 1.3.7: 2013-14 से 2020-21 के दौरान मार्किट लोनज की मैच्योरिटी प्रवृत्तियां

मैच्योरिटी वर्ष	मैच्योरिटी राशि (₹ करोड़ में)
2014-15	827.00
2015-16	931.68
2016-17	141.01
2017-18	0.00
2018-19	2,795.00
2019-20	4,000.00
2020-21	4,450.00

(स्रोत: वित्त विभाग द्वारा आपूरित आंकड़े तथा संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सरकार को ओपन मार्किट उधारों की देयताएं वहन करने के लिए उस सीमा तक सिंकिंग फंड में अंशदान बढ़ाने की आवश्यकता है।


मामला जुलाई 2013 में प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग को भेजा गया था; किंतु उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितंबर 2013)।

1.11 राजकोषीय असंतुलन

एक विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान तीन मुख्य राजकोषीय पैमाने अर्थात् राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटे राज्य सरकार के वित्तों में समग्र राजकोषीय असंतुलन की मात्रा को दर्शाते हैं। सरकारी लेखाओं में घाटा, इसके रिसोर्सिज कमिटमेंट्स और मध्य अन्तर को निरूपित करता है। घाटे की प्रकृति, सरकार के राजकोषीय प्रबन्ध के विवेक की सूचक है। आगे, वे तरीके जिनसे घाटे का वित्तपोषण किया जाता है और रिसोर्सिज बनाए जाते हैं तथा अनुप्रयोग किए जाते हैं, इसके राजकोषीय स्थिति के आवश्यक संकेतक हैं। यह सैक्शन, इन घाटों के वित्त पोषण की प्रवृत्ति, प्रकृति, मात्रा और पद्धति को तथा वित्त वर्ष 2012-12 के लिये रा.उ.ब.प्र. अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत निश्चित लक्ष्यों की तुलना में राजस्व और राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तरों का निर्धारण भी प्रस्तुत करता है।

1.11.1 घाटों की प्रवृत्तियां

चार्ट 1.14 2008-13 की अवधि में घाटा संकेतकों में प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है तथा सरा.घ.उ. के साथ घाटा सूचकों की अनुपात में प्रवृत्तियां तालिका 1.3 8 में दर्शाई गई है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

तालिका 1.3 8: 2008-13 की अवधि पर घाटा सूचकों की प्रवृत्तियां

वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
आर.डी./सरा.घ.उ.	(-) 0.011	(-) 0.019	(-) 0.010	(-) 0.005	(-) 0.013
एफ.डी./सरा.घ.उ.	(-) 0.036	(-) 0.045	(-) 0.027	(-) 0.023	(-) 0.029
पी.डी./सरा.घ.उ.	(-) 0.023	(-) 0.033	(-) 0.015	(-) 0.010	(-) 0.016

जो राजस्व घाटा, राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय का आधिक्य इंगित करता है रा.उ.ब.प्र. के अनुसार 2011-12 तक शून्य तक नीचे लाया जाना था और 2014-15 तक शून्य पर स्थिर रखा जाना था। राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटा जो 2011-12 में ₹ 1,457 करोड़, ₹ 7,153 करोड़ और ₹ 3,152 करोड़ तक घट गया, 2012-13 की समाप्ति पर क्रमशः ₹ 4,438 करोड़, ₹ 10,362 करोड़ और ₹ 5,618 करोड़ तक बढ़ गया।

वर्ष के दौरान, राजस्व घाटा केवल ₹ 3,076 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि के विरुद्ध राजस्व व्यय में ₹ 6,057 करोड़ की वृद्धि के कारण ₹ 2,981 करोड़ बढ़ गया। ₹ 10,362 करोड़ का वित्तीय घाटा उसी कारण 2011-12 में ₹ 3,209 करोड़ तक बढ़ गया। यह सरा.घ.उ. का 2.93 प्रतिशत था जो कि वर्ष की वि.सु.प. में प्रोजेक्टिड तीन प्रतिशत की सीमा के भीतर था। प्राथमिक घाटा, प्राथमिक राजस्व घाटे में कमी के कारण 2011-12 में ₹ 3,152 करोड़ से 2012-13 में ₹ 5,618 करोड़ तक बढ़ गया।

वर्ष 2012-13 के लिए नियत किया गया शून्य राजस्व घाटे का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका (परिशिष्ट 1.6)।

1.11.2 राजकोषीय घाटा और इसकी वित्त पोषण पद्धति का संघटन

तालिका 1.39 में दर्शाए गए अनुसार राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति में संघटनीय बदलाव आया है। 2012-13 के दौरान राजकोषीय घाटा वित्त प्रबंध के घटकों के अंतर्गत प्राप्तियां और संवितरण तालिका 1.40 में दिए गए हैं।

तालिका 1.39: राजकोषीय घाटे के घटक एवं इसकी वित्त पोषण पद्धति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजकोषीय घाटे के घटक	(-) 6,557	(-) 10,090	(-) 7,258	(-) 7,153	(-) 10,362
1 राजस्व घाटा (-) / अधिक्त्य (+)	(-) 2,082	(-) 4,264	(-) 2,746	(-) 1,457	(-) 4,438
2 निवल पूंजीगत व्यय	(-) 4,495	(-) 5,209	(-) 4,023	(-) 5,363	(-) 5,751
3 निवल ऋण एवं अग्रिम	20	(-) 617	(-) 489	(-) 333	(-) 173
राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति					
1 मार्केट उधार	2,504.54	3,683.68	4,157.63	5,994.89	8,574.38
2 भा.स. से ऋण	(-) 47.46	(-) 34.16	183.71	(-) 127.17	(-) 75.54
3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	(-) 79.73	534.43	934.31	(-) 329.47	(-) 91.55
4 वित्तीय संस्थाओं से ऋण	218.88	1,525.45	595.99	1,191.44	854.88
5 लघु बचत भविष्य निधि इत्यादि	352.38	861.92	747.80	718.53	457.96
6 रिजर्व निधि	(-) 4.81	(-) 39.13	8.93	(-) 16.65	(-) 39.09
7 जमा एवं अग्रिम	216.62	526.64	316.66	826.54	597.05
8 उर्ध्व एवं विविध	3,546.38	2,785.98	(-) 635.88	406.73	370.77
9 प्रेषण	(-) 26.63	(-) 282.96	305.08	214.88	(-) 72.60
10 ओवर आल सरप्लस (+) घाटा (-)	6,680.17	9,561.85	6,614.23	8,879.72	10,576.26
11 रोकड़ शेष में अधिक (-) कमी (+)*	(-) 122.37	(+) 528.81	(+) 644.20	(-) 1,726.40	(-) 214.43
12 सकल राजकोषीय घाटा	6,557	10,090	7,258	7,153	10,362

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

* 8999-रोकड़ शेष (रिजर्व बैंक के पास जमा एवं कोषालय में प्रेषण)।

तालिका 1.40: वित्तीय घाटे को पोषित करने वाले घटकों के अन्तर्गत प्राप्तियां और संवितरण (₹ करोड़ में)

विवरण	प्राप्ति	संवितरण	निवल
1 बाजार उधार	9,330.00	755.62	8,574.38
2 भा.स. से ऋण	51.15	126.69	(-) 75.54
3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	438.40	529.95	(-) 91.55
4 वित्तीय संस्थाओं से ऋण	5,393.99	4,539.11	854.88
5 लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	2,310.94	1,852.98	457.96
6 जमा और अग्रिम	13,149.90	12,552.85	597.05
7 रिजर्व निधियां	671.42	710.51	(-) 39.09
8 उर्ध्व एवं विविध	30,791.31	30,420.54	370.77
9 प्रेषण	5,928.62	6,001.22	(-) 72.60
10 समग्र आधिक्त्य (-) घाटा (+)			10,576.26
11 नकद शेष में वृद्धि (-) कमी (+)			(-) 214.43
12 कुल राजकोषीय घाटा			10,362.00

(स्रोत: राज्य वित्त लेखे)

राजकोषीय घाटा, जो सरकार के उधारों और 2011-12 में ₹ 7,153 करोड़ से 2012-13 में ₹ 10,362 करोड़ तक बढ़े हुए इसके संसाधन अंतर को प्रस्तुत करता है। बाजार उधारों का योगदान ₹ 8,574 करोड़ था जो कि 2011-12 में ₹ 5,995 करोड़ से ₹ 2,579 करोड़ अधिक था। घाटे को पोषित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए अन्य मुख्य उपाय थे वित्तीय संस्थाओं से ऋण (₹ 855 करोड़), राज्य भविष्य निधि में वृद्धि (₹ 458 करोड़) और जमाओं में वृद्धि (₹ 597 करोड़)।

1.11.3 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का अनुपात और प्राथमिक राजस्व घाटे में प्राथमिक घाटे के घटक एवं पूंजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) राज्य के वित्तों में घाटे की गुणवत्ता को इंगित करेगा। राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का अनुपात संकेत करता है कि किस मात्रा तक उधार ली गई निधियां वर्तमान खपत के लिये प्रयोग में लाई गई थी। आगे, राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का निरन्तर उच्च अनुपात भी संकेत करता है कि राज्य का परिसम्पत्ति आधार लगातार सिकुड़ रहा था और उधारों (राजकोषीय देयताओं) के एक हिस्से की कोई परिसम्पत्ति पृष्ठभूमि नहीं थी। प्राथमिक घाटे का बंटवारा (तालिका 1.41) पूंजीगत व्यय, जो राज्य की वित्तप्रबन्ध की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिये वांछनीय हो सकता है, में उस मात्रा जिस तक घाटा पूंजीगत व्यय की वृद्धि के कारण था, की ओर संकेत करेगा।

तालिका 1.41: प्राथमिक घाटा/का आधिक्य - फैक्टरर्ज विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियां	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य (+)	प्राथमिक घाटा (-)/ आधिक्य (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2008-09	18,811	18,195	4,502	332	23,029	616	(-) 4,218
2009-10	21,215	22,520	5,218	830	28,568	(-) 1,305	(-) 7,353
2010-11	25,805	24,991	4,031	722	29,744	814	(-) 3,939
2011-12	30,861	28,014	5,372	627	34,013	2,847	(-) 3,152
2012-13	33,994	33,328	5,762	522	39,612	666	(-) 5,618

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

प्राथमिक राजस्व आधिक्य ने अंतिम तीन वर्षों में सुधार दिखाया। 2010-11 में ₹ 814 करोड़ का प्राथमिक राजस्व आधिक्य 2012-13 में ₹ 666 करोड़ तक घट गया। यह इस तथ्य के कारण था कि प्राथमिक राजस्व व्यय, गैर-ऋण प्राप्तिओं की अपेक्षा अधिक दर पर बढ़ रहा था। 2008-09 से 2012-13 के दौरान गैर-ऋण प्राप्तिओं में वृद्धि 81 प्रतिशत थी जब कि इसी अवधि के दौरान प्राथमिक राजस्व व्यय 83 प्रतिशत तक बढ़ गया। तथापि, विवरण इंगित करते हैं कि गैर-ऋण प्राप्तियां प्राथमिक राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी और इन प्राप्तिओं का हिस्सा पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए प्रयुक्त किया गया। राज्य को 2008-09 से प्राथमिक घाटा हो रहा था जो कि 2012-13 के अंत तक ₹ 5,618 करोड़ हो गया। यह इंगित करता है कि उधार ली गई निधियां प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए प्रयुक्त की गई थी।

1.12 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर फालो अप एक्शन

रिपोर्ट के अध्याय-2 में शामिल किए गए रेगुलराइजेशन के लिए अपेक्षित प्रावधान पर आधिक्य पर पैरा तथा अध्याय-3 में शामिल हानियां एवं डीफाल्केशनज पर पैरा को छोड़कर राज्य के वित्तों पर प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति में चर्चा नहीं की जा रही है।

1.13 निष्कर्ष

राजस्व एवं व्यय का पैटर्न: कर राजस्व में 15 प्रतिशत बढ़त के कारण राजस्व प्राप्तियां पिछले वर्ष से इस वर्ष 10 प्रतिशत तक बढ़ गईं। 2012-13 में कर राजस्व वि.सु.प. के अंतर्गत नियत लक्ष्यों तथा म.अ.वि.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपणों का क्रमशः 3.74 तथा 1.32 प्रतिशत तक कम रहा किंतु ते.वि.आ. द्वारा नियत लक्ष्यों से 1.75 प्रतिशत अधिक था। कर-भिन्न राजस्व वर्ष 2012-13 हेतु ते.वि.अ., वि.सु.प. और म.अ.वि.नी.वि. द्वारा नियत लक्ष्यों से क्रमशः 69 प्रतिशत, पांच प्रतिशत और तीन प्रतिशत कम था।

राजस्व व्यय, वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 19 प्रतिशत तक बढ़ गया तथा कुल व्यय का 85 प्रतिशत संघटित किया। इसका गै.यो.रा.व्य. घटक, ₹ 28,616 करोड़ था, जो ते.वि.आ. (₹ 20,360 करोड़) तथा वि.सु.प. (₹ 27,410 करोड़) के प्रक्षेपण से क्रमशः 41 प्रतिशत तथा चार प्रतिशत अधिक था। गैर-योजनागत राजस्व व्यय के अन्तर्गत चार संघटकों अर्थात् वेतन एवं मजदूरियां, पेंशन देयताएं, ब्याज भुगतान और परिदानों ने 2011-12 के दौरान लगभग 88 प्रतिशत संघटित किया। इसके अतिरिक्त, कुल परिदानों (₹ 5,454 करोड़) का 94 प्रतिशत (₹ 5,132 करोड़) ऊर्जा क्षेत्र के लिए था तथा वि.सु.प. के प्रक्षेपण (₹ 3,650 करोड़) से अधिक था।

पूँजीगत व्यय, जिसने कुल व्यय का 13 प्रतिशत संघटित किया, 2011-12 से 2012-13 में सात प्रतिशत तक बढ़ गया।

स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता (₹ 4,648 करोड़) जिसने 2012-13 के दौरान राजस्व व्यय का 12 प्रतिशत संघटित किया 2011-12 से 41 प्रतिशत तक बढ़ गया।

राजकोषीय सुधार: राजकोषीय मानक अर्थात् राजस्व, राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटे राज्य की वित्तीय स्थिति इंगित करते हैं। राजस्व घाटा जो 2011-12 के दौरान शून्य तक लाया जाना तथा 2014-15 तक शून्य रखा जाना अपेक्षित था गत वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान और बढ़ गया। राजकोषीय मानकों अर्थात् राजस्व, राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटों में प्रवृत्तियां 2011-12 में क्रमशः ₹ 1,457 करोड़, ₹ 7,153 करोड़ और ₹ 3,152 करोड़ रही, 2012-13 में क्रमशः ₹ 4,438 करोड़, ₹ 10,362 करोड़ और ₹ 5,618 करोड़ तक आगे बढ़ गईं।

कर्ज निर्वहन सक्षमता: रा.उ.ब.प्र. अधिनियम के अनुसार, आकस्मिक देयताओं सहित कुल कर्ज वर्ष के लिए अनुमानित सरा.घ.उ. के 22.7 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। 2012-13 के दौरान गारंटियों एवं लैटर्स ऑफ कम्फर्ट सहित कुल देयताएं जो ₹ 91,500 करोड़ थी सरा.घ.उ. का 25.89 प्रतिशत रही जो रा.उ.ब.प्र. अधिनियम की सीमा से बढ़ गया।

सरकारी निवेशों की समीक्षा: सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों और सहकारिताओं में सरकार के निवेशों पर औसत रिटर्न पिछले पांच सालों में 0.02 से 0.17 प्रतिशत के मध्य रहा जबकि सरकार ने इन निवेशों पर 7.82 से 9.86 प्रतिशत तक का औसत ब्याज भुगतान किया। 2012-13 के दौरान निवेशों का मुख्य हिस्सा (77 प्रतिशत) विभिन्न विद्युत निगमों के साम्या शेयरों में निवेश के रूप में किया गया।

राज्य सरकार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के कार्यान्वयन में पीछे थी। स्कीम के कार्यान्वयन हेतु 31 दिसंबर 2012 की टारगेट डेट के विरुद्ध डिस्कोमस ने अगस्त 2013 में स्कीम को अनुमोदित किया।

सात गैर-कार्यचालन सा.क्षे.उ. थे दो बंद होने के अधीन थे। गैर-कार्यचालन सा.क्षे.उ. के अपनिवेश, निजीकरण और पुनर्गठन के लिए कार्रवाई नहीं की गई थी।

अपूर्ण परियोजनाएं: तीन विभागों की छियासठ परियोजनाएं, जो दिसंबर 2007 और मार्च 2013 के बीच पूर्ण की जानी थी, अब तक अपूर्ण थी (जून 2013)। अपूर्ण परियोजनाओं का टाइम ओवर रन कम किया जाना चाहिए।

राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को भा.स. से सीधे हस्तान्तरित निधियों का निरीक्षण: वर्ष के दौरान भा.स. ने राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे तौर पर ₹ 1,979.71 करोड़ हस्तांतरित किए जिसने पिछले वर्ष पर ₹ 30 करोड़ (1.49 प्रतिशत) की बढ़त दर्शाई। चूंकि ये निधियां राज्य बजट के माध्यम से पास नहीं की जाती, वित्त लेखे राज्य में केन्द्रीय सरकार के संसाधनों के फंड फ्लो का पूर्ण चित्र प्रस्तुत नहीं करते।

बाजार उधार: 2008-13 की पांच वर्षों की अवधि के दौरान राज्य सरकार के बाजार उधार ₹ 22,411 करोड़ (309 प्रतिशत) तक बढ़ गए। बकाया देयता में इसका हिस्सा 2008-09 में 22.45 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 45.76 प्रतिशत हो गया। बाजार उधारों पर भारित औसत ब्याज भी उसी अवधि के दौरान 7.55 प्रतिशत से 8.85 प्रतिशत तक बढ़ गया।

1.14 सिफारिशें

सरकार निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:

- ते.वि.आ. की सिफारिशों के अनुसार राजस्व घाटा शून्य तक लाने के लिए पर्याप्त उपाय आरंभ करना।
- राजस्व प्राप्तियों से पूरी तरह राजस्व व्यय वहन करने तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए उधार ली गई निधियां उपयोग करना।

- राज्य सा.क्षे.उ., जो भारी हानियां उठा रहे हैं, के कार्यचालन की समीक्षा करने तथा फाइनेशियल रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के कार्यान्वयन द्वारा डिस्कोमस के लिए रीवाइवल स्ट्रेटजी बनाना।
- राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को भारत सरकार द्वारा सीधे तौर पर हस्तांतरित निधियों के संबंध में प्राप्तियों एवं व्यय पर आवधिक सूचना का प्राप्त करने के लिए स्ट्रांग मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (एम.आई.एस.) स्थापित करना।